राजभाषा अंकुर

जून, 2014

पी.एस.बी.

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ ॥

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ

Punjab & Sind Bank

(राजभाषा विभाग)

आंचलिक कार्यालय - हरियाणा

आंचलिक कार्यालय - गुरदासपुर

आंचलिक कार्यालय - अमृतसर

बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री जतिन्दरबीर सिंह, आई.ए.एस., आंचलिक कार्यालयों के अधीन शाखाओं के प्रभारियों के साथ बैठक करते हुए।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

प्रधान कार्यालय राजभाषा विभाग की हिंदी पत्रिका

राजभाषा अंकुर

(केवल आंतरिक वितरण हेतु)

'बैंक हाऊस', प्रथम तल, 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110 008

मुख्य संरक्षक

श्री जतिन्दरबीर सिंह, *आई.ए.एस.*

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

संरक्षक

श्री एम. के. जैन एवं श्री के. के. साँसी

कार्यकारी निदेशक

मुख्य संपादक

श्री आर. सी. नारायण

महाप्रबंधक (राजभाषा)

संपादक व प्रकाशक

डॉ. चरनजीत सिंह

मुख्य प्रबंधक

प्रभारी, राजभाषा

संपादक मंडल

श्री कुलदीप सिंह खुराना

वरिष्ठ प्रबंधक, राजभाषा

श्री त्रिलोचन सिंह

प्रबंधक

डॉ. नीरू पाठक, श्री सोनी कुमार

राजभाषा अधिकारी

पंजीकरण सं. : एफ. 2(25) प्रैस. 91

'राजभाषा अंकुर' में प्रकाशित सामग्री में दिए गए विचार संबंधित लेखकों के अपने हैं। पंजाब एण्ड सिंध बैंक का प्रकाशित विचारों से सहमत होना ज़रूरी नहीं है। सामग्री की मौलिकता एवं कॉपी राइट अधिकारों के प्रति भी लेखक स्वयं उत्तरदायी है।

मुद्रक : मोहन प्रिंटिंग प्रेस

5/35ए, कीर्ति नगर औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110015 फोन : 98100 87743

जून 2014

विषय-सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	संपादक मंडल / विषय-सूची	1
2.	संपादकीय	2
3.	कार्यकारी निदेशक महोदय का आंचलिक कार्यालयों का दौरा	3
4.	हिंदी भाषा एवं साहित्य पर विदेशी प्रभाव	4
5.	पीएमए अधिनियम और पीएमए नियम, 2005 में हाल ही में हुए वैधानिक परिवर्तन	6
6.	सरफेसी अधिनियम तथा वसूली	8
7.	झूठ का सच	10
8.	यही जीवन है	12
9.	जलन से ज़िंदगी	13
10.	ऋण-शिविर	14
11.	अनुवाद की व्युत्पत्ति और संकल्पना	16
12.	आनंद कुमार और उनका सुपर 30	18
13.	भा.रि.बैं. की प्रशिक्षण समन्वय समिति की 92वीं बैठक	20
14.	शहीदों के सरताज श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी गुरुपर्व	21
15.	हिंदी कार्यशाला	22
16.	गतिविधियाँ	24
17.	राजभाषा - समाचार	25
18.	जल संरक्षण	26
19.	हमारा स्वास्थ्य	28
20.	दर्द-ए-दिल	29
21.	यात्रा परलोक की	30
22.	चिंतन....	31
23.	ओलंपिक के बाद सबसे बड़ा खेल मेला है यह	32
24.	सूचना का अधिकार	34
25.	गुरू अरजन विटहु कुरबाणी	36
26.	काव्य - मंजूषा	38
27.	हमें इन पर गर्व है	39
28.	करत-करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान	40
29.	बैंक का विज़न और मिशन	41
30.	वार्षिक कार्यक्रम	42
31.	आइए हँस लें	43
32.	राजभाषा मॉडल- । के तहत राजभाषा बैठक	44

संपादकीय

प्रिय पाठको,

किसी भी देश की आर्थिक प्रगति में वहाँ की भाषा की भूमिका अत्यंत अहम होती है और जब बात बैंक की हो तो बैंक की प्रगति बैंक के ग्राहकों से आपसी संबंध पर आधारित होती है जिसमें भाषा की भूमिका सर्वोपरि है। जनभाषा हिंदी के माध्यम से अपने ग्राहकों के साथ निरंतर संवाद कायम करके हम अपना ग्राहक आधार बढ़ा सकते हैं। मेरा मानना है कि कार्यालयीन औपचारिकताओं से ऊपर उठकर हिंदी के सरल रूप को स्वेच्छा से निष्ठापूर्वक अपने कामकाज की भाषा बनाएं। वर्तमान युग में आम बोलचाल की भाषा हो या मीडिया या फिर इंटरनेट, हिंदी का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर है। भाषा के प्रचार एवं प्रसार में गृह- पत्रिकाओं की अहम भूमिका होती है। इसी कड़ी में अपने बैंक की गृह-पत्रिका 'राजभाषा अंकुर' को, जो अपने में तक़नीकी तथा साहित्य के विविध रंगों को समेटे हिंदी भाषा की गरिमा को बनाए हुए है, आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

पत्रिका का यह अंक बैंक में होने वाली गतिविधियों को तो दर्शाता ही है साथ ही जीवन के आर्थिक, सामाजिक, साहित्यिक, धार्मिक सभी पहलुओं को भी स्पर्श करता है। 'जल संरक्षण' लेख जहाँ पानी के महत्व को दर्शाता है वहीं 'गुरु अरजन विटहु कुरबाणी' श्री गुरु अरजन देव जी के अलौकिक व्यक्तित्व तथा उनकी समाज व धर्म के लिए दी कुरबानी से हृदय को आंदोलित कर देता है। 'सुपर 30' विपरीत परिस्थितियों में भी अथक परिश्रम से लक्ष्य प्राप्ति की प्रेरणा देता है। 'अनुवाद की व्युतपत्ति....', 'सूचना का अधिकार', 'करत करत अभ्यास के....' तथा विशेषतः हमारे मुख्य महाप्रबंधक द्वारा डीआरटी पर दिया गया व्याख्यान, तमाम लेख अंक को विविधता तो प्रदान कर ही रहे हैं साथ ही हिंदी भाषा के बहुआयामी पक्ष को भी उजागर करते हैं। आशा है, पत्रिका का यह अंक भी आपको पसंद आएगा।

पत्रिका के आगामी अंक 'सूचना प्रौद्योगिकी विशेषांक'' तथा ''ग्राहक सेवा विशेषांक'' होंगे। कृपया अपनी रचना संबंधित विषयों पर कम से कम 1000 शब्दों का लेख व मौलिकता के प्रमाण-पत्र व अपने 12 अंकों के खाता संख्या सहित भिजवाने की व्यवस्था करें। स्मरण रहे कि पत्रिका का प्रकाशन आपके लिए, आप ही के द्वारा भेजी गई रचनाओं के सहयोग से किया जाता है इसलिए आप सबका इन विशेषांकों के लिए सहयोग प्रार्थनीय एवं अपेक्षित है।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित।

आपका,

(आर. सी. नारायण)
महाप्रबंधक (राजभाषा)

कार्यकारी निदेशक श्री किशोर कुमार साँसी द्वारा आंचलिक कार्यालय देहरादून के अधीन शाखाओं का समीक्षा दौरा

आँचलिक कार्यालय देहरादून के अंतर्गत कार्यरत शाखा प्रबंधकों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। श्री किशोर कुमार साँसी, कार्यकारी निदेशक का स्वागत करती हुई बैंक की एक अधिकारी।

समीक्षा बैठक के दौरान श्री किशोर कुमार साँसी, कार्यकारी निदेशक का स्वागत करते श्री हरमिंदर सिंह, आंचलिक प्रबंधक, देहरादून।

शाखा प्रबंधकों की समीक्षा बैठक के दौरान श्री किशोर कुमार साँसी, कार्यकारी निदेशक, शाखा प्रबंधकों को संबोधित करते हुए।

शाखा प्रबंधकों की समीक्षा बैठक के दौरान शाखा प्रबंधकों की समीक्षा करते हुए श्री किशोर कुमार साँसी, कार्यकारी निदेशक, श्री जी. एस. सेठी, फील्ड महाप्रबंधक एवं श्री हरमिंदर सिंह, आंचलिक प्रबंधक, देहरादून।

डी आर. टी. बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित सेमिनार में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ओर से हमारे बैंक के मुख्य महाप्रबंधक, श्री जी. एस. सचदेवा प्रतिनिधित्व करते हुए।

श्री जी. एस. सचदेवा, मुख्य महाप्रबंधक, सेमिनार में उपस्थित सहभागियों को संबोधित करते हुए।

मंचासीन (बाएं से) श्री जी. एस. सचदेवा, मुख्य महाप्रबंधक, श्री आशीष कालिया, न्यायाधीश श्री सिस्टानी, न्यायाधीश श्री रंजीत सिंह, श्री अशोकन व श्री खन्ना।

हिंदी भाषा एवं साहित्य पर विदेशी प्रभाव

परमजीत सिंह बेवली

हिंदी भाषा और साहित्य का विकास आठवीं शताब्दी के आस-पास से माना जाता है। इसी के आस-पास से विधर्मियों का सम्पर्क भी होना प्रारम्भ होता है। फिर उनके आक्रमण उनका अधिकार भी हो गया, इसी समय से हिंदी भाषा पर भी बाह्य प्रभाव पड़ना आरम्भ हो गया। अतः हिंदी भाषा और साहित्य अपने शैश्व काल से ही बाह्य प्रभावों को ग्रहण करता जा रहा है। इस प्रकार अब तक अनेक प्रकार के विदेशी प्रभाव इस भाषा पर पड़े हैं।

भारतीय भाषाओं पर विदेशी प्रभाव का आरम्भ :

ईरानियों का सम्पर्क पहले हुआ और उन्होंने सिन्धु प्रदेश को देखा। उनकी भाषा में 'स' का उच्चारण 'ह' के रूप में होता है। अतः वे इस देश को हिन्द कहने लगे और यहां से सम्बन्धित सभी वस्तुओं के लिए प्रारम्भ में हिंदी का प्रयोग करने लगे थे। किंतु बाद में यहां की भाषा को हिंदी भाषा कहा जाने लगा। पहले 'भाषा' या 'भाण' शब्द का प्रयोग ब्रज-भाषा के लिए होता था। इसका संक्षिप्त विकास-क्रम इस प्रकार है-महर्षि पाणिनि के व्याकरण से बद्ध होकर तथा उच्च साहित्यिक स्तर पर पहुंचकर संस्कृत भाषा जन-साधारण के समझने योग्य नहीं रह गई। उस समय साधारण जनता प्राकृत और पाली तथा अन्य प्रांतीय भाषाओं का प्रयोग करती थी। संस्कृत नाटकों में देखा जाता है कि निम्न वर्ग के साधारण लोग तथा स्त्रियां प्राकृत में बातचीत करती है तथा उच्च वर्ग के पुरुष मात्र संस्कृत में। फिर एक मिली-जुली भाषा का विकास हुआ। जिसमें संस्कृत के साथ अन्य प्रांतीय भाषाओं के शब्दों की बहुलता थी। इसे विद्वानों ने अपभ्रंश या बिगड़ी हुई भाषा कहना आरम्भ किया। इस अपभ्रंश में ब्रजभाषा प्रमुख हो गई तथा काव्य के लिए अपनी कोमलता के कारण उपयोगी मानी जाने लगी और कवियों ने ब्रजभाषा में कविताएँ करना प्रारम्भ कर दिया। वीरगाथा काल, भक्ति-काल तथा रीति- काल में यही ब्रज-भाषा काव्य-भाषा के रूप में स्वीकृत थी। दिल्ली, आगरा, मेरठ, मुर्शिदाबाद आदि स्थानों की छावनियों में एक नई बोली का आविर्भाव हुआ। जो खड़ी बोली कही गई।

चूंकि इन स्थानों में विभिन्न प्रान्तों के सैनिक एक साथ रहते थे और वे विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते थे, अतः स्वभावतया उनके पारस्परिक सम्पर्क तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार स्थानीय भाषाओं के सहयोग से खड़ी बोली (वर्तमान हिंदी) खड़ी हो गयी। इसके साथ ही उसी प्रकृति की अरबी, फ़ारसी शब्दों से भरी एक और भाषा बनी जिसे 'उर्दू' नाम दिया गया। इस प्रकार हिंदी भाषा ने अपने लगभग एक हज़ार वर्षों के जीवन में अनेक भाषाओं के प्रभावों को ग्रहण किया। विदेशी प्रभाव भाषा पर लगभग 12वीं शताब्दी से ही पड़ने लगे और अब तक पड़ते जा रहे हैं।

हिंदी भाषा की सजीवता और बाह्य प्रभाव :

प्रत्येक जीवित भाषा प्रचलित विदेशी शब्दों को आत्मसात करके उन्हें अभिन्न बना लेती है। कारण यह है कि जीवित भाषा दूसरे प्रचलित शब्दों की व्यापकता तथा उपयोगिता का अनुभव करती है। यवनों और तुर्कों का शासन दृढ़ होने के साथ उनकी भाषा का भी महत्व बढ़ने लगा, फलतः उनकी भाषा के अनेक शब्द व्यवहार मे आने लगे और वे हिंदी

भाषा की शब्दावली में मिल गये। जैसे ''देर'', ''चाकू'', 'फहरिस्त'' ''कसीदा'', ''तकलीफ़'' आदि सहस्त्रों शब्द हिंदी में है जो विदेशी भाषा के हैं। उनकी विदेशी प्रकृति यानी वर्णों के नीचे लगने वाले बिंदु आदि के हट जाने से हिंदीपन आ गया है और वे हिंदी में घुलमिल गये हैं। क्रियाओं की धातुएँ तो प्रायः संस्कृत से ली गई पर उनके रूप हिंदी के बनते गये। इन परिवर्तनों में सामान्य प्रयोग तथा व्याकरणों के नियमों का सामान्य हाथ रहा है। मुगलों के सम्पर्क से इसी प्रकार अरबी-फ़ारसी के शब्दों का मिश्रण हुआ।

हिंदी पर यूरोपीय भाषाओं का प्रभाव :

फिर अंग्रेज़, फ़्रांसीसी, डच और पुर्तगाल निवासी भारत में व्यापार करने आए। क्रमशः उन लोगों ने अपनी बस्तियां बनाई और फिर राज्य स्थापित किए। अंग्रेज़ों का राज्य लगभग 200 वर्षों तक भारत में रहा। उनका सम्पर्क जनता से बढ़ता गया। फलतः उनकी भाषा के अनेक शब्द - 'स्टेशन'', ''पोस्टमैन'', ''डाक'', ''रेल'', ''सिनेमा'', ''रेडियों'' आदि का प्रचार हो गया।

वे सभी हिंदी भाषा के अपने बन गए। इस प्रकार विदेशी प्रभाव से हिंदी भाषा की शब्दावली में वृद्धि हुई तथा भाषा का भंडार बढ़ा। भाषा का वर्णन शैली पर भी प्रभाव पड़ा। अरबी, फ़ारसी के प्रभाव से रवानी और मुहावरेदानी आई। भाषा की गति में चंचलता आई और लोकोक्तियों का प्रयोग बढ़ा। कथात्मक शैली का विकास हुआ। अंग्रेज़ी के प्रभाव से वैज्ञानिक शब्दों की प्राप्ति हुई तथा नये पारिभाषिक शब्दों के निर्माण में सहायता मिली।

भाव की दृष्टि से भी कम लाभ नहीं हुआ। भक्तिकाल तथा रीतिकाल में विदेशी प्रभाव अधिक रहा। प्रेम-गाथाओं का प्रचार नवीन ढंग से हुआ। सूफ़ी दरवेशों की भक्ति पद्धति की रचनाएं हिंदी में हुई। प्रेम वर्णन की तीव्रता में मुसलमानी प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। बिहारी के दोहो में, घनानन्द की कविताओं में तथा अन्य कवियों की रचनाओं में भी विदेशी प्रभाव स्पष्ट है। आगे चलकर अंग्रेज़ी का प्रभाव छायावादी कवियों पर अधिक पड़ा। अंग्रेज़ी पढ़े लोगों की कविताओं में, गद्य में पर्याप्त विदेशी प्रभाव पड़ता है। आलोचना नाटक, कहानी आदि विविध साहित्य प्रकारों पर अंग्रेज़ी साहित्य की छाप यदा-कदा दिखाई पड़ती है। यह प्रभाव शब्दावली पर अधिक पड़ा। ''कार्बो से मिले अजान नपन, यहाँ'', ''अजान नपन'', इन्नोसैंट-लुक'' का अनुवाद है। 'बादल', 'छापा' आदि अनेक कविताएं अंग्रेज़ी से प्रभावित हैं। हिंदी नाटक में कथा का दुखांत बनना, पात्रों का रंगमंच पर बिना पूर्व विवरण के यथासार उपस्थित होना, सूत्रधार आदि का प्रयोग न होना आदि बातें अंग्रेज़ी के प्रभाव को स्पष्ट करती हैं। हिंदी की व्यवहारिक तथा विश्लेषणात्मक आलोचना पद्धति पर भी अंग्रेज़ी आलोचना का स्पष्ट प्रभाव है। 'कहानी', यात्रा वर्णन, आत्मकथा आदि सभी अंग्रेज़ी से प्रभावित हैं। अंग्रेज़ी के ''ब्लैक सोनेट'' तथा ''वर्ग'' आदि के ढंग पर हिंदी में भी कविताएं लिखी जाने लगीं। इस प्रकार अंग्रेज़ी साहित्य तथा पश्चिमी विचारधारा ने हिंदी को पर्याप्त प्रभावित किया।

बाह्य प्रभाव के लाभ :

विदेशी प्रभाव पड़ने के कारण हिंदी साहित्य की मनोवृत्तियों में व्यापकता आ गई। साहित्य के क्षेत्र में विस्तार हुआ, वर्ण्य विषयों की अधिकता हुई। भाषा में समन्वय की शक्ति बढ़ी, शब्द भण्डार में वृद्धि हुई। शब्दों की लाक्षणिक शक्ति में विकास हुआ। शब्दों के प्रयोग, अलंकार की योजना, छन्दों का चयन नवीन ढंग से होने लगा। निबन्ध के क्षेत्र में व्यापकता आ गई। निबन्ध की शैली आत्मप्रधान हो गई। संक्षेप में विदेशी प्रभावों ने कवियों और लेखकों के ''स्व'' का विस्तार किया। कवि ने अपनी अभिलाषाओं तथा सुख-दुख की अनुभूतियों को खुलकर व्यक्त किया। प्रकृति को सचेतन मानने का क्रम भी अंग्रेज़ी ढंग का ले लिया गया। प्रकृति वर्णन नये दृष्टिकोण से किया जाने लगा। वैधानिक लेख, एकांकी नाटक आदि सभी विषयों पर बाह्य प्रभाव पूर्णतया लक्षित हो रहा है। जीवन दर्शन में भौतिकता की प्रधानता आ गई।

बाह्य प्रभाव से हानियाँ :

इस प्रभाव से कई हानियाँ भी हुई। भाषा की स्वच्छता में मिश्रण हो गया। प्रचलित विदेशी शब्दों का निर्माण कम होने लगा। भारतीय संस्कृति की बारीकियों को देखने के स्थान पर पाश्चात्य संस्कृति की नकल चल पड़ी। साहित्य निरंतर समाज को प्रभावित करता रहता है। अतः समाज पर पाश्चात्य प्रभाव अधिक पड़ा। भारतीय दार्शनिक और आध्यात्मिक मान्यताओं में लोगों की आस्था कम होने लगी। साम्यवादी विचारधारा वर्ग संघर्ष तथा स्वच्छन्दता को प्रश्रय मिला। इस प्रकार विदेशी प्रभाव से लाभ के साथ-साथ हानियाँ भी हुई।

लीड बैंक, साबुन बाज़ार
लुधियाना, पंजाब

पीएमए अधिनियम और पीएमए (अभिलेखों का रखरखाव) नियम 2005 में हाल ही में हुए वैधानिक परिवर्तन
Recent Legislative changes in RML Act and PML (Maintenance of Records) Rules 2005

एस. पी. एस. कलसी

भारत में बैंकिंग उद्योग पर लागू केवाईसी नियमों को उपरोक्त अधिनियम के तहत गठित किया गया है। वर्ष 2013 के दौरान इस अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण वैधानिक परिवर्तन किए गए हैं और उन्हें भारत के राजपत्र में दिनांक 03.01.2013 को अधिसूचित किया गया है। इसी प्रकार नियमों में भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं और उन्हें भारत के राजपत्र में दिनांक 28.08.2013 को अधिसूचित किया गया है।

इस अधिनियम के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक ''नियंत्रक'' (Regulator) होता है और वह बैंको को इस संबंध में शीघ्र ही हिदायतें जारी करेगा। तथापि स्टाफ़-सदस्यों को नवीनतम जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य तथा उनके हित के लिए हम निम्नानुसार वैधानिक परिवर्तनों पर चर्चा करेंगे :-

1. नियमों के तहत ''नामित निदेशक'' के संबंध में नया खंड जोड़ा गया है। ''नामित निदेशक'' से आशय है - रिपोर्टिंग संस्था (हमारे मामले में हमारा बैंक रिपोर्टिंग संस्था है) द्वारा नामित किया गया ऐसा व्यक्ति जो अधिनियम और नियमों के अध्याय 4 के तहत दायित्वों का समग्र रूप से अनुपालन सुनिश्चित करे। नियम के अनुसार यदि रिपोर्टिंग संस्था कोई कंपनी है तो निदेशक मंडल (Board of Director) द्वारा विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रबंध निदेशक (Managing Director) अथवा पूर्ण कालिक निदेशक (Whole-tme Director) ही नामित निदेशक होंगे।

   यहाँ कहना उचित होगा कि पूर्व नियमों के अनुसार बैंकों को ''प्रमुख अधिकारी'' (Principal Officer) नियुक्त करना होता है। इस संशोधन के कारण अब इसके अतिरिक्त नामित निदेशक को भी नियुक्त करना पड़ेगा।

2. पहचान संबंधी ''आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज़'' (Officially valid Documents) की परिभाषा में परिवर्तन किया गया है। नई परिभाषा इस प्रकार है :-

   बशर्ते कि जहाँ ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने के लिए सरल तरीके लागू किए गए हैं, निम्न दस्तावेज़ों को ''आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज़ (Officially valid Document) माना जाएगा।

   क) केन्द्र/राज्य सरकार के विभाग, सांविधिक/विनियामक प्राधिकरण/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा आवेदक के फोटो सहित जारी किए गए पहचान-कार्ड।

   ख) व्यक्ति की विधिवत् सत्यापित फोटोग्राफ सहित राजपत्रित अधिकारी (Gazette Officer) द्वारा जारी पत्र।

3. लेन-देन (ट्रांजेक्शन) की परिभाषा में भी संशोधन किया गया है।

   ट्रांजेक्शन से आशय है खरीद, बिक्री, ऋण, गिरवी, उपहार (गिफ्ट), सुपुर्दगी अथवा संबंधित व्यवस्था तथा इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :-

   (I) खाता खोलना।

   (II) किसी भी मुद्रा में अथवा अन्य अभौतिक साधनों (Non-Physical means) से निधियों को जमा करना, निकलवाना (Withdrawal), विनिमय अथवा अंतरण करना।

   (III) सुरक्षित जमा बॉक्स अथवा सुरक्षा जमा के अन्य तरीके अपनाने।

   (IV) किसी प्रकार के न्यासी संबंध (Fiduciary Relationship) बनाना।

   (V) कोई संविदात्मक या अन्य वैधानिक दायित्वों के संबंध में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से किए गए भुगतान अथवा प्राप्त की गई राशि।

(VI) मौक़े का खेल खेलने (Playing Game of chance) के संबंध में नकदी का माल (Kind) के रूप में किया गया कोई भुगतान, जिसमें कैसिनों (Casino) के साथ जुड़ी गतिविधियां शामिल हैं।

(VII) कानूनी व्यक्ति या कानूनी व्यवस्था स्थापित अथवा सृजित करना।

4. नकदी लेन-देन रिपोर्ट (Cash Transaction Report)

इसे अब निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया है :-

क) 10 लाख रूपए मूल्य से अधिक या इसके बराबर की विदेशी मुद्रा में किए गए समस्त लेन-देन।

ख) प्रत्येक लेन-देन की सभी श्रृंखला जो एक दूसरे से संबद्ध हैं और ऐसा प्रत्येक लेन-देन पृथक रूप से 10 लाख रू. या इसके बराबर की विदेशी मुद्रा से बेशक कम है और एक माह के भीतर हुआ है परंतु इस प्रकार के समस्त लेन-देन माह के दौरान कुल 10 लाख रू. से अधिक या उसके बराबर की विदेशी मुद्रा में हुए हैं।

5. निम्न अनुसार दो नई रिपोर्ट आरंभ की गई हैं :-

रिपोर्टिंग करने वाली प्रत्येक संस्था द्वारा समस्त लेन-देन (ट्रांजैक्शन) का रिकार्ड रखा जाए, जिसमें निम्न रिकार्ड भी शामिल है :-

- 6 लाख रू. मूल्य या उसके समतुल्य विदेशी मुद्रा के क्रॉस बार्डर वायर ट्रांस्टर, जहां निधियों का उद्‌गम (Origin) अथवा गंतव्य (Destination) स्थल भारत है।
- किसी व्यक्ति द्वारा 50 लाख रू. या अधिक कीमत वाली अचल संपत्ति की समस्त खरीद या बिक्री, जो कि मामले अनुसार रिपोर्टिंग संस्था द्वारा पंजीकृत है।

उपरोक्त बाद वाले मामले में रिपोर्टिंग हस्ती संपत्तियों के रजिस्ट्रार तथा उप-रजिस्ट्रार होंगे।

6. सूचना प्रस्तुत करना :-

- सीसीआर अर्थात् जाली मुद्रा रिपोर्टिंग (Counterfeity Currency Reporting) के मामले में रिपोर्टिंग में परिवर्तन किया गया है। इसे घटना आधारित से बदल कर मासिक आधारित कर दिया गया है।
- क्रॉस बार्डर वायर ट्रांस्फर के संबंध में नई रिपोर्ट मासिक आधार पर होगी।
- 50 लाख रू. या अधिक मूल्य की संपत्ति के लेन-देन (ट्रांजैक्शन) के मामले में रिपोर्टिंग तिमाही आधार पर की जाएगी।
- प्रत्येक रिपोर्ट को प्रस्तुत करने हेतु समय-सीमा निर्धारित की गई है। निर्धारित अवधि से अधिक समय में लेन-देन की रिपोर्टिंग करने में यदि एक भी दिन का विलंब अथवा गलत रिपोर्टिंग को सुधारने में एक दिन का भी विलंब होता है, तो उसे पृथक रूप से उल्लंघन माना जाएगा।
- ग्राहक अपेक्षित तत्परता (Customer Due Diligence)

इस खंड में यह उल्लेख किया गया है कि जब भी कोई खाता-आधारित संबंध शुरू होगा तो बैंक निम्नानुसार कार्य करेगा :-

(I) अपने ग्राहकों को पहचानेगा, उनकी पहचान सत्यापित करेगा, व्यापार संबंध बनाने के उद्देश्य तथा किस प्रकृति का व्यापार होगा, के संबंध में सूचना मांगेगा।

(II) इसके अतिरिक्त बैंक यह देखेगा कि ग्राहक किसी हिताधिकारी स्वामी (Beneficial Owner) की ओर से कार्य तो नहीं कर रहा और अगर हाँ, तो हिताधिकारी स्वामी की पहचान करने तथा पहचान को सत्यापित करने हेतु समस्त कदम उठाएगा।

ऐसे मामले जहां 50,000/- रू. या इससे अधिक राशि के लेन-देन, भले ही एक बार में हुए हैं आपस में जुड़ी हुई श्रृंखला में पृथक रूप में हुए हैं, अथवा कोई अंतर्राष्ट्रीय अंतरण लेन-देन हुआ है तो पहचान सत्यापित की जाए।

उक्त कानून में किए संशोधन के बाबत अभी भारतीय रिज़र्व बैंक की हिदायतें परिचारित की जानी हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा माह अप्रैल 2014 में 5 लाख रू. और अधिक राशि के विदेशी मुद्रा लेन-देन की रिपोर्टिंग के संबंध में हिदायतें परिचारित कर दी गई हैं।

बाकी की संशोधनों के संबंध में आरबीआई के परिपत्रों के शीघ्र ही जारी होने की उम्मीद है और एक बैंकर होने के नाते हमें नवीनतम संशोधनों का पालन करने के संबंध में स्वयं को तैयार करना होगा।

प्रधानाचार्य, सी.बी.आर.टी. चंडीगढ़

डी.आर.टी. (DRT) बार एसोसिएशन द्वारा सुनियोजित सेमिनार में श्री जी.एस. सचदेवा, मुख्य महाप्रबंधक द्वारा दिए गए व्याख्यान का सार

जी. एस. सचदेवा

सरफेसी अधिनियम के आने से पूर्व बैंक उच्च अनर्जक आस्तियों (NPA) के कारण डगमगा रहे थे। उच्च अनर्जक आस्ति स्तर के खातों के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भारत की वित्तीय रेटिंग कम थी। आवश्यकता हमेशा से ही आविष्कार की जननी रही है। अतः इस अभाव को पूरा करने के लिए डीआरटी अधिनियम तथा सरफेसी अधिनियम की कल्पना की गई तथा इन नियमों को बनाया गया। बैंको ने स्वयं अपने बल पर डीआरटी के माध्यम से तीव्रता से वसूली को सुनिश्चित करने की घोषणा की तथा सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत भी अपने स्तर पर कार्रवाई की।

यह माना गया है कि इस अधिनियम के द्वारा बैंकों को अनर्जक आस्ति स्तर को बड़े पैमाने पर कम करने की सुविधा प्राप्त हुई। वर्ष 2010 तक लगभग सभी बैंकों सकल अनर्जक आस्तियों का स्तर 1 प्रतिशत कम से कम आ गया था। डीआरटी तथा सरफेसी अधिनियम एंव न्यायिक प्रक्रिया के अग्रसक्रिय दृष्टिकोण को इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद! तथापि पिछले 3-4 वर्षो में डीआरटी के ध्यानाकर्षण में परिवर्तन आया है। ध्यानाकर्षण मुख्य रूप से न्यायिक निर्णय से विस्थातिप होकर वसूली पर हो गया है, वसूली थोड़ी ही सही लेकिन उधारकर्ता की सहमति से हो, जैसे कि

1. यदि खाते में नाम मात्र की राशि जमा कर दी जाती है तो सरफेसी कार्रवाई को अकसर रोक दिया जाता है। यह इस वास्तविकता के बावजूद है कि -
   (i) बैंक प्रथमदृष्ट्या मामले में दृढ़ है,
   (ii) 95 प्रतिशत मामलों का निर्णय पूर्णतः बैंक के पक्ष में दिए जाने के कारण उपयुक्तता का अत्यंत दृढ़ संतुलन बैंक के पक्ष में हैं
   (iii) उधारकर्ता, जो कि एक चूककर्ता है तथा बैंक में ऋण लेते समय जिसने अपनी संपत्ति नियमानुसार बैंक के पास बंधक रखी थी और उसे कोई अपूर्णनीय हानि भी नहीं होती है।
2. इस प्रक्रिया में उधारकर्ता को एक लंबा रास्ता दिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप जो पैसा बैंक के पास तुरंत वापिस आना चाहिए वह एक समयावधि के पश्चात आता है।
3. ब्याज दर एक अन्य तत्व है जिसके कारण बैंक दबाव महसूस करते हैं। अधिकांशतः तय की गई ब्याज दर अत्यधिक कम होती है - लगभग 9-10 प्रतिशत तथा वह भी सामान्य आधार पर। मैं शीर्ष कोर्ट के सीपीसी की धारा 34 पर दिए गए निर्णयों से गुजरा हूँ। मैंने पाया कि धारा 34 माननीय कोर्ट को उचित दर निर्धारण का अधिकार देती है, परंतु कोर्ट द्वारा कोई भी संविदात्मक दर उचित न पाया जाना आश्चर्यजनक है। निर्णय में, 95 प्रतिशत स्थान ऋण को साबित करने के लिए गवाहों के विश्लेषण में लगाया जाता है किंतु अंततः कोर्ट द्वारा ब्याज निर्धारण के समय आमतौर पर एक ही लाईन लिखी जाती है जो ऐसा कहती है कि यह दर ही न्यायोचित है। यहाँ तक कि यह निर्धारित दर राशियों के मूल्य से भी कम होती है जो बैंक अपने जमाकर्त्ताओं को दे रहा होता है।
4. भारतीय रिज़र्व बैंक एक सांविधिक निकाय है जो देश की मौद्रिक नीति पर नियंत्रण रखता है। इस नीति की भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रति छह हफ़्तों में समीक्षा की जाती है। यहाँ तक कि बेंच मार्क रेट में फुटकर परिवर्तन जैसे-रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट, के लिए बहुत सारे आँकड़े संबंधित होते हैं तथा इसके प्रभाव का परीक्षण किया जाता है। इतना ही नहीं 25 आधार अंकों का परिवर्तन करने के लिए भी बहुत सारे मापदंडों को अपनाया जाता है ताकि अर्थव्यवस्था पर किसी भी प्रकार का बुरा प्रभाव न पड़े।

तथापि कोर्ट के द्वारा ब्याज दर निर्धारण के समय कोर्ट किसी प्रभावशाली अथवा आवश्यक कारण के नहीं होने के बावजूद बहुत ही कम ब्याज दर निर्धारित करने का निर्णय देती है।

5. बैंक के पक्ष में डिक्री निर्धारण के बावजूद उधारकर्ता राशि के भुगतान के लिए नहीं झुकता। निर्धारित की गई ब्याज दरें अत्यधिक कम होती हैं और इसलिए वह इस पैसे को कम मूल्य राशि होते हुए भी लंबी समयावधि में वापिस करना उपयुक्त समझता है।

6. ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रचलन में बदलाव आया है। डीआरटी तथा अन्य सिविल कोर्टस का फोकस बैंक तथा वित्तीय संस्थानों में वसूली को सुनिश्चित करना हुआ है। जबकि यह वसूली बहुत ही कम है लेकिन कुछ मूल्य पर यह वसूली प्रभावित कर रही है। इस अवसर का लाभ तब ही है - जब बैंक समय पर वसूली करें तथा इसे अच्छे प्रतिफल पर अभिनियोजित किया जा सके, क्योंकि कोर्ट ब्याज आकार में संविदात्मक दर की अपेक्षा अत्यधिक कम मूल्य दर स्वीकार कर रहा है। तीसरा, सुनियोजित मूल्य - यह चूकों को बढ़ावा देता है क्योंकि उधारकर्ता जानता है कि यह उसके लिए वैसे ही होगा जैसे केक ले भी जाना और उसे आसानी से हज़म भी कर लेना, क्योंकि उसे अपना उधार चुकाने के लिए एक लंबी समयावधि मिलेगी तथा इसके लिए उसे ब्याज भी बहुत कम देना होगा, यदि मामला कोर्ट में लंबित है।

कुल मिलाकर तात्पर्य यह है कि कानून/उधारकत्ताओं नियम को बदलने की आवश्यकता है जिससे कि वित्तीय संस्थानों तथा उधारकर्ता के बीच एक संतुलन बन सके तथा जिससे विजयात्मक परिस्थितियाँ बन सकें।

- मुख्य महाप्रबंधक

काम की उन मदों की सूची, जिन्हें कम्प्यूटर पर हिंदी में किया जा सकता है।

1. पत्राचार।
2. प्रबंध सूचना प्रणाली की विभिन्न मदें।
3. बोर्ड/नेम प्लेट्स।
4. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) की विभिन्न मदें।
5. प्रशिक्षण सामग्री (पावर पॉइंट में प्रस्तुति सहित)।
6. वेतन पर्चियाँ और वेतन-पत्रक।
7. नये खाताधारियों को जारी किया जाने वाला स्वागत-पत्र।
8. नये खाता-धारियों का परिचय देने वालों को जारी किया जाने वाला धन्यवाद-पत्र।
9. पास-बुकों में प्रविष्टियाँ।
10. ग्राहकों को खाता विवरण देना।
11. विभिन्न बिलों और भत्तों के भुगतान से संबंधित कार्य।
12. बैठकों से संबंधित सूचनाएं, कार्य-सूची और कार्य-विवरण।
13. स्थापना और स्टाफ़ से संबंधित सभी कार्य।
14. समूह बीमा से संबंधित सूचनाएं।
15. नीति संबंधी दिशा-निर्देश।
16. सभी प्रकार की प्रचार-सामग्री।
17. आवधिक रिपोर्टें।
18. विवरणियाँ।
19. शाखा बैंकिंग।
20. ऋण-वसूली के लिए अनुस्मारक।
21. भविष्य निधि और पेंशन का ब्यौरा।
22. ऋण-मंज़ूरी संबंधी सूचनाएं।
23. बैंक चेक और ड्राफ्ट।
24. भुगतान आदेश/जमा आदेश।
25. सावधि जमा रसीदें।
26. जमा-राशियों की परिपक्वता संबंधी सूचनाएं।
27. चेक-लिस्ट तैयार करना।
28. ग्राहकों के साथ शाखा अधिकारियों की बैठकों से संबंधित सभी लिखित कार्य।
29. डिमांड ड्राफ्ट।
30. चेक वापसी का मेमो।
31. वेबसाईटों पर हिंदी में अधिक से अधिक साम्रगी।
32. इंटरनेट पर और कॉरपोरेट ई-मेल के माध्यम से हिंदी (देवनागरी) में ई-मेल संदेशों का आदान-प्रदान।
33. ऋण-मंज़ूरी की प्रक्रिया से संबंधित नोट।

झूठ का सच

कमल रूप सिंह गोइंदी

झूठ देखने में काफी छोटा प्रतीत होता है। यह शब्द वर्णमाला के केवल दो अक्षरों के योग से बना है, लेकिन इसका कार्यक्षेत्र काफ़ी बड़ा है। यह शब्द तथा इसके पर्याय समस्त विश्व में व्याप्त हैं। इस शब्द का प्रयोग आधुनिक मनुष्य ही नहीं बल्कि आदि-काल से देवी-देवता भी आपसी लड़ाई तथा एक दूसरे को तुच्छ दिखाने के लिए करते रहे हैं और ऐसा कहा जा सकता है कि जब तक इस संसार में मनुष्य का अस्तित्व रहेगा, झूठ भी फलता-फूलता रहेगा।

किसी बात को समझते-बूझते ग़लत अर्थ में प्रस्तुत करने को झूठ कहा जा सकता है। बचपन में बच्चे किसी चीज़ को पाने या कोई काम ख़राब हो जाने पर मार के डर से झूठ बोलते हैं। कुछ बड़े होने पर परीक्षा में नंबर कम आने पर या फिर कालेज से छूटकर, फ़िल्म देखने पर माता-पिता की डांट से बचने के लिए झूठ का सहारा लिया जाता है। इसी प्रकार शादी के बाद तो लोगों का छोटी-छोटी बातों के लिए अपनी पत्नी के सामने झूठ बोलना एक आम बात है। दफ़्तर में लेट पहुँचने पर या किसी काम के समय पर न कर पाने पर अपने बॉस से झूठ बोलने के अनेकों उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि सामान्यतः झूठ अपना उल्लू सीधा करने के लिए ही बोले जाते हैं अर्थात् झूठ का प्रयोग तभी माना जाएगा जब इसके सहारे कुछ स्वार्थ सिद्ध होता हो।

इस प्रकार एक बात स्पष्ट हो जाती है कि झूठ सदैव किसी लाभ के लिए ही नहीं बोला जाता। कुछ लोग झूठ केवल आदतन बोलते हैं। कुछ लोगों को झूठ बोलने में आनंद आता है तो कुछ लोग दूसरे को बेवकूफ़ बनाने की गरज़ से भी झूठ बोल देते हैं। कभी-कभी मजबूरी में भी झूठ बोलना पड़ता है तो कभी अपने किसी साथी को किसी मुश्किल से उबारने के लिए भी झूठ का सहारा लेना पड़ जाता है। परंतु अधिकतम झूठ व्यक्तिगत लाभ के लिए या किसी पर रौब डालने के लिए ही बोले जाते हैं। हाँ, कभी-कभी परिस्थितिवश भी झूठ बोलना पड़ता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी संकट में फंस जाए और वह महसूस करे कि बिना झूठ बोले वह इस में से नहीं निकल सकता, तो मजबूरन उसे झूठ का सहारा लेना पड़ता है। झूठ के सहारे उस संकट विशेष से निकलने के बाद जब वह राहत महसूस करता है तो उसके मन में यह विचार आने लगता है कि झूठ तो संकट से निकलने की एक चाबी है और वह झूठ पर झूठ बोलता चला जाता है और एक दिन वह अपने को झूठ का दास बना लेता है।

झूठ शब्द को लेकर हमारे साहित्य में बहुत से मुहावरे भी प्रचलित हैं - झूठ के पाँव नहीं होते इसका अर्थ है कि झूठ ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता, सामान्यतः यह समझा जाता है कि पैर न होने के कारण झूठ बोलने वाला शीघ्र ही पकड़ा जाएगा। लेकिन आधुनिक युग में इस मुहावरे का अर्थ है कि मिथ्याचारी अपने शब्दों के सहारे झूठ को बड़ी निष्ठा व लगन के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। इस प्रकार उसे चलने के लिए पैरों की आवश्यकता नहीं रह जाती, वह तो सिर चढ़ कर स्थान परिवर्तन करता है। आज जहाँ अर्थ कुछ ख़ास महत्व नहीं रखता। झूठ बोलने वाला पकड़ा तो क्या जाएगा, वह उसके सहारे सफलता की एक सीढ़ी

और चढ़ जाता है और इस प्रकार सच को मुँह चिढ़ा जाता है।

कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। परन्तु वर्तमान काल में ऐसा लगता है कि भगवान को भी झूठ सुनने और देखने की आदत सी पड़ गई है। सच को सामने पाकर वह भी काँप उठता है और अपनी आँखें ऐसे मूंद लेता है जैसे बिल्ली को सामने पाकर कबूतर करता है। इसी कारण आज एक सच्चा इंसान जो कि सत्य को ही धर्म मानता है और जिसने सच का दामन कभी नहीं छोड़ा वह सच की आग में तब तक जलता रहता है जब तक उसके ज्ञान-चक्षु खुल नहीं जाते और वह भी झूठ की साफ़-सुथरी राह पर अग्रसर नहीं हो जाता। सचमुच यह चमत्कार उसी की कृपा से तो संभव हुआ अन्यथा वह बेचारा इंसान सच के गहन अंधेरे में घुटकर दम तोड़ देता। देर-सवेर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सवेरा तो होना ही होता है। तभी तो बरबस मुँह से निकल जाता है - उसके घर में देर है अंधेर नहीं।

आज के युग में सच की बुनियाद पर बनी इमारत उसी प्रकार ढह जाती है जैसे किसी भ्रष्ट ठेकेदार द्वारा बनाया गया कम सीमेंट का पुल। इसी प्रकार कोई बात तब तक असरदार नहीं बनती जब तक उसमें कुछ झूठ शामिल न कर दिया जाए। झूठ में लपेट कर कही गई बात को सुनने वाले धन्य हो जाते हैं। उनके कानों में जब झूठ की अमृत-वाणी प्रवाहित होती है तो उन्हें जिस प्रकार का सुख प्राप्त होता है उसका शब्दों में वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत जो बात मात्र सच ही बताई जाए, उसे सुनकर सभी मुँह बिचका कर या उसे झूठ बतलाकर उस व्यक्ति से कन्नी काट लेते हैं।

ऐसा माना जाता है कि जिस चीज़ को जितना दबाया जाता है वह रोगी की भांति उतना ही फूलती है। आधुनिक युग में आदमी को भगवान के नाम से अधिक झूठ नामक रामबाण का सहारा प्राप्त है। किसी भी वस्तु का विज्ञापन लें, उस वस्तु के गुण तथा उपयोगिता को जानते-बूझते उसका निर्माता विज्ञापन में ऐसी-ऐसी बातें कहेगा जो उसमें मौजूद नहीं होती। यह झूठ वह अपनी जेब भरने के लिए बोलता है क्योंकि वह जानता है कि बिना इस बैसाखी के उसकी वस्तु बाज़ार में टिक नहीं पाएगी। इसी प्रकार रोज़मर्रा की छोटी-छोटी चीजें बेचने वाले अपने ग्राहकों से झूठ-सच बोलते हैं और सोने पे सोहागा यह कि झूठ बोलते समय अपनी रोज़ी, रोटी की या बीवी-बच्चों की कसमें भी खाते रहते हैं। अक्सर अपने मोहल्ले में सब्ज़ी बेचने वाले को कहते सुना होगा ''झूठ नहीं बोलूंगा, बीबी जी, अभी-अभी बत्ती जलाई हैं, या देखों न, मैं अपनी रोज़ी पर बैठा हूँ, झूठ थोड़े ही बोलूंगा'' आदि-आदि। इस प्रकार न चाहते हुए भी वह अपने झूठ का प्रमाण भी साथ-साथ देते रहते हैं।

इन सभी बातों को ध्यान में रखकर हम अपने सामाजिक वातावरण पर जब एक नज़र डालते हैं तो पाते हैं कि यदि झूठ को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, तो जीवन में काफ़ी नीरसता आ जाएगी और वह बेस्वाद हो जाएगा। क्योंकि यह झूठ ही है जो हमारे सामाजिक जीवन में नमक का काम करता है। यदि आप इसका असर देखना भी चाहते हैं तो ज़रा अपने खाने-पीने से नमक को निकाल कर देखिए, उसकी अहमियत आपके सामने होगी। यह भी सत्य है कि झूठ के बिना हमारे जीवन में केवल नीरसता ही नहीं आएगी, बल्कि हमारे आपसी संबंधों में भी दरारें पड़ने लगेंगी और तब शायद संभव है मनुष्य का समाज में रहना भी मुश्किल हो जाए।

लगभग सभी धर्म-ग्रंथों में झूठ पर अनेक प्रकार के उपदेश दिए हुए हैं। इस संबंध में भागवत तथा वशिष्ठ संहिता में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ हैं :-

स्त्रीषु नर्मविवाहेच वृत्यर्थे प्राणसंकटे।
गोप्राणरायेहिंसायाः नाडनृतस्याज्जुगुप्सितम्।।

भागवत

उथाडकालेरतिसम्प्रयोगेप्राणत्येय सर्वध्यानापडारे
विप्रस्यचायें ऋनतवदेये पश्या नृतान्याहुरपात कानि।

वशिष्ठ संहिता

जिसका अर्थ है - ''औरतों के साथ हँसी-ठट्ठा में बोला गया झूठ, शादी-ब्याह के समय, अपनी रोज़ी बचाने के लिए, धन का नाश होते देखकर, गाय या ब्राह्मण के हित के लिए तथा हिंसा को रोकने के लिए बोला गया झूठ पाप नहीं माना जाता।''

गरज़ यह कि आप झूठ बोलिए और बेझिझक बोलिए, ध्यान केवल इतना रखना है कि झूठ इतने विश्वास के साथ बोला जाए कि सुनने वाला आपके झूठ से इतना प्रभावित हो जाए कि वह जगह-जगह आपके सच्चे होने का प्रमाण देता फिरे।

- सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रबंधक (रा.भा.)

यही जीवन है।

उपदेश सिंह सचदेवा

जीवन कोई आसान खेल नहीं। किसी से भी उसकी समस्याओं के बारे में पूछिये। बस फिर क्या - नदी में बाढ़ की तरह आरंभ हो जाएगा, अपनी मुसीबतें सुनाने के लिए। जब मनुष्य अपने दुख तकलीफ़ों के बारे में बताता है तो यक़ीनन उसकी अपनी तकलीफ़ कम होती है। अरस्तु की भाषा में इसे कर्थासिस कहते हैं। अपना दुखड़ा रोने पर दुख-दर्द घटता है।

दुख, तकलीफ़ें, कठिनाईयाँ आपके मन की अवस्था तो क्षीण करती ही है। यहाँ तक कि आपकी शारीरिक शक्ति को भी घटाती है। ऐसी अवस्था में मनुष्य को चाहिए कि वो एकांत में बैठ अपने आप मे अंतर्ध्यान हो अपना स्वयं से विश्लेषण करे और देखे कि उसमें कौन-कौन सी कमज़ोरियाँ और कौन सी ताकतें हैं?

इस लेख में एक ऐसे व्यक्ति की चर्चा है जो अपने हालात के कारण लगभग टूट चुका है। एक दिन जब वो अपने बहुत क़रीबी मित्र से मिला तो बोला, ''मेरा तो सब कुछ लुट गया। मैं उज़ड़ गया। कुछ भी तो नहीं रहा मेरे पास। जो भी जीवन में बनाया था, समाप्त हो गया।''

मित्र बुद्धिमान था और था भी अच्छा मित्र। बोला, ''क्या सचमुच में सब कुछ लुट गया?''

''सब कुछ! कुछ भी तो नहीं बचा। अब तो कोई उम्मीद भी नहीं। इस उम्र में दोबारा से मेहनत करना और सब कुछ बनाना लगभग असंभव है। मैं तो भगवान में भी अपनी आस्था खो बैठा हूँ।''

मित्र ने अपने मित्र के साथ सहानुभूति दिखाई। उसे लगा कि मित्र का निराशावाद ही उसकी चिंता और दुःख का कारण है। मित्र को पता था कि अभी भी सारा कुछ समाप्त नहीं हुआ। काफी कुछ है उसके पास।

मित्र से बोला, ''चलो! एक काम करते हैं। कागज़ और पैन ले लेते हैं और लिखते हैं कि तुम्हारे पास क्या-क्या बचा है।''

''मैंने कहा न सभी कुछ चला गया। कुछ भी तो नहीं बचा मेरे पास।'' उसका मित्र थोड़े गुस्से में बोला, ''चलो ऐसा मान कर चलते हैं कि कुछ नहीं बचा। सभी कुछ लुट गया। क्या तुम्हारी पत्नी अब भी तुम्हारे साथ रहती है?''

''हाँ! वो कहाँ जाएगी?एक वही तो है जो मेरी सच्ची साथी है। हमारी शादी को लगभग 30 वर्ष हो गए। भले ही कितनी मुश्किलें आ जाएं वो मुझे नहीं छोड़ेगी और न मैं उसे।''

''तो ठीक है। तो कागज़ पर लिख लें। तुम्हारी पत्नी अभी भी तुम्हारे साथ है और वो तुम्हें कभी छोड़ कर नहीं जायेगी, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आ जाएं।

अच्छा अब अपने बच्चों के बारे में बताओ - मित्र बोला, ''मेरे तीन बच्चे हैं। एक लड़का दो लड़कियाँ। तीनों कमाल के बच्चे हैं। वास्तव में मैं भावुक हो गया था जब तीनों बोले थे, ''पापा, हम आपको दिल से प्यार करते हैं और हम आपके साथ हैं हर मुश्किल में।''

''ठीक है इसको नम्बर दो पर लिख लो। अब मुझे बताओ कि क्या तुम्हारा कोई मित्र है?''

''सर्वप्रथम तो तुम ही हो। इसके अतिरिक्त कुछ और भी हैं। ये सभी मित्र मेरे अच्छे-बुरे समय के साथी है और जब भी मुझे आवश्यकता पड़ी ये पीछे नहीं हटे। लेकिन जो अवस्था मेरी आज है शायद उसमें वो कुछ नहीं कर सकते।''

''चलो इसको नम्बर तीन पर लिख लो। अब मुझे सच-सच बताओ कि तुम बेईमान हो या ईमानदार सच्चे।

''मेरी ईमानदारी ही मेरी इस हालत का कारण है। मैंने जीवन में कभी

बेईमानी नहीं की। यदि मैं बेईमान होता तो शायद मैं काफी धनी होता।''

''ठीक है इसको नंबर चार पर लिख लो। अब बताओ तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा रहता है?''

''अभी तक तो ठीक-ठाक हूँ। कोई ख़ास समस्या नहीं आई।''

''इसको पाँचवे नम्बर पर लिख लो। चलो अब अंत में मैं तुम्हें पूछता हूँ कि क्या तुम भगवान में विश्वास रखते हो।''

''अब नहीं। सारा जीवन प्रभु में आस्था थी। मेरा सब कुछ लुट गया। सच मानो दिल ही टूट गया। सोचता हूँ प्रभु होता तो मेरे साथ ऐसा होता ही क्यों? मैंने तो किसी के साथ कोई धोखा-फरेब नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद भी सोचता हूँ प्रभु मेरी सुनेगा। दिल से विश्वास निकला नहीं। बस एक रोष, एक नाराज़गी है प्रभु के प्रति, ठीक उसी तरह जैसे बच्चा अपने माता-पिता से रूठ जाता है।''

तो आओ अब ज़रा देखें कि हमने क्या लिस्ट बनाई।

1. अच्छी पत्नी जो तुम्हें किसी हालत में भी नहीं छोड़ेगी।
2. तीन बढ़िया बच्चे जो तुम्हारा साथ देते हैं।
3. अच्छे मित्र जो तुम्हारी सहायता करने को तत्पर रहते हैं और तुम्हारा आदर करते हैं।
4. तुम्हारी ईमानदारी।
5. तुम्हारी अच्छी सेहत।
6. तुम्हारी छिपी हुई आस्था भगवान में - भले ही ऊपर-ऊपर से तुम उससे रूठे हुए हो।

''सब कुछ कभी भी नष्ट नहीं होता। न ही सब कुछ लुट जाता है। सुनामी में लोगों का काफी कुछ लुटा। जीवन फिर भी चलता जाता है। कठिनाईयाँ तो जीवन का हिस्सा हैं। दुःख-सुख दोनों ही आते-जाते रहते हैं।

जीवन फिर भी नहीं रुकता।

यही जीवन है।

- सेवा निवृत्त, सहायक महाप्रबंधक

जलन से ज़िंदगी मुसीबत में

- सुश्री मोनिका

आज के युग में अपेक्षाओं और उपलब्धियों के बीच की दूरी से तनाव मनुष्य की ज़िंदगी का एक अनिवार्य अंग बन चुका है। केवल ज़िंदगी के प्रति नज़रिया बदलने से ही मनुष्य तनाव से मुक्ति पा सकता है। संघर्ष मुक्त ज़िंदगी ही सुखद ज़िंदगी होती है ऐसा नहीं हैं, अपितु ज़िंदगी में सुख की प्राप्ति संघर्ष करने की क्षमता में ही संभव है। लेकिन समाज में आजकल यह सकारात्मक नज़रिया खोता सा चला जा रहा है। इसलिए समस्याएं भी बढ़ती चली आ रही हैं। हम अपनी समस्याओं से आज कम परेशान हैं बल्कि पड़ोसी की उन्नति देखकर होने वाली जलन से ज्यादा परेशान हैं। भले ही पड़ोसी ने अनैतिक साधनों से प्रगति की हो। हमें यह देखकर संतोष करना चाहिए कि हम आज जहाँ पर हैं, वहाँ पहले दर्जे के साधनों से पहुंचे हैं या आप भी पड़ोसियों या दूसरों की तरह उन्हीं घटिया साधनों को अपना लीजिए। प्रसन्नता विषयों में नहीं विचारों में निहित होती है। सबसे उत्कृष्ट प्रसन्नता, दूसरों की प्रसन्नता में अभिवृद्धि करने से होती है, न कि जलकर राख होने में। संतोष की प्राप्ति लोभ, क्रोध, मोह, माया, द्वेष और अहंकार जैसे गुणों को जीतने में है। गर्म लोहे को जिस तरह इच्छानुसार आकार दिया जा सकता है। प्रेम, स्नेह व विश्वास भी ऐसे ही साधन हैं, जो ज़िंदगी को सतरंगी बना सकते हैं। कैक्टस की भांति उपेक्षित ज़िंदगी में फूल कम व कांटे ही ज़्यादा उगेंगे। हमारी ज़िंदगी के वही क्षण सर्वश्रेष्ठ व सार्थक होते हैं, जो दूसरों को समर्पित होते हैं। जीवन का सही स्वरूप, पूरा आनंद दूसरों के लिए हाज़िर रहने में ही निहित है, न कि दूसरों पर आश्रित होने में। ऐसे सार्वभौम सत्य के रास्ते पर चलकर ही जीवन की समस्याओं को कम किया जा सकता है।

- शाखा अर्बन एस्टेट, जालंधर

पी.एस.बी. ग्रामीण एवं रोज़गा
आयोजित विभि

र प्रशिक्षण संस्थान, मोगा द्वारा
न्न ऋण-शिविर

अनुवाद की व्युत्पत्ति और संकल्पना

श्रीमती इन्दरपाल कौर

यह बात सत्य है कि भारतीय अनुवाद परंपरा वैदिक युग से ही चली आ रही है। अनुवाद केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता है। अतः अनुवाद का महत्व मूल लेखन से कई गुना अधिक होता है।

अनुवाद शब्द की उत्पत्ति इस प्रकार हुई है :- अनु - वद् - घञ्, अनु उपसर्ग है और इसका अर्थ है - बाद में या पीछे। वद् संस्कृत की धातु है इसका अर्थ होता है - बोलना। घञ् प्रत्यय है और इस प्रत्यय के लगने से वद् धातु का रूप बदल कर 'वाद' हो जाता है, इस प्रकार अनुवाद का संपूर्ण अर्थ होगा - बाद में कहना या पीछे कहना अर्थात् पहले से कही हुई बात को पुनः कहना। अंग्रेज़ी में Translation का अर्थ भी इसी प्रकार है अर्थात Trans - पार - lation - ले जाना, एक भाषा से दूसरी भाषा में ले जाना।

अनुवाद की संकल्पना

अनुवाद के अर्थ को जान लेने के पश्चात् अनुवाद की संकल्पना को भी जान लेना जरूरी है। कहने का अभिप्राय यह है कि अनुवाद केवल भाषा को बदल देने से ही सम्पन्न नहीं हो जाता है बल्कि अनुवाद में कुछ ''और'' भी है जो इसे सही स्वरूप देता है।

अनुवाद में मुख्यतः दो भाषाएं होती हैं - स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा। स्रोत भाषा वह भाषा है जिससे हम अनुवाद कर रहे हैं। जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। जिस सामग्री या विषय-वस्तु को स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में परिवर्तित किया जाता है उसे संदेश या सामग्री कह सकते हैं।

अनुवाद कैसा हो

अनुवाद को ठीक मूल विषय-सामग्री जैसा ही लगना चाहिए। जिस प्रकार वस्तु का दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु जैसा ही होता है, उसी प्रकार अनुवाद भी मूल विषय-सामग्री जैसा ही हो और मूल के सामने आने पर वह उसके प्रतिबिंब के अलावा कुछ न लगे। ''यदि अनुवाद में मूल की आत्मा के दर्शन न हों, तो ऐसा अनुवाद निरर्थक हैं।''

अनुवाद पढ़ते समय ऐसा आभास होना चाहिए जैसा कि मूल ही पढ़ा जा रहा हो। अनुवाद शब्द बोलने व सुनने में बहुत संक्षिप्त है। अति

सरल एवं सुपरिचित शब्द होने के कारण अनुवाद को प्रायः सरल कार्य समझा जाता है। परंतु अनुवाद सबसे जटिल कार्य है क्योंकि इस कार्य को करने में मूल लेखक से कई गुना अधिक प्रयास करना पड़ता है। मूल लेखक लेखन करते समय अपने विचारों अथवा विषय सामग्री को अपने अधिकार की भाषा में लिपिबद्ध करता है। मूल लेखक अपने विषय का ज्ञाता होता है व भाषा उसकी अपनी होती है। अतः उसका प्रयास सिर्फ़ दोहरा है अर्थात सोचना और उसे क्रमबद्ध रूप में लिपिबद्ध करते जाना। जबकि अनुवाद करने में कई गुना अधिक परिश्रम लगता है। स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों पर अधिकार व पांडित्य होना अनिवार्य है, इसके अलावा विषय पर समुचित ज्ञान, उचित शैली एवं प्रस्तुति, स्पष्ट अभिव्यक्ति में सक्षम होना भी नितांत आवश्यक है।

अतः अनुवाद करने से पहले यह जान लेना चाहिए कि अनुवाद का प्रयोजन क्या है और अनुवाद किसके लिए किया जा रहा है? अनुवाद कैसा हो, यह बात पाठक वर्ग को ध्यान में रखकर भी निर्धारित करनी होती है।

अनुवाद की समस्याएं

अनुवाद बहुत सरल प्रतीत होने वाली क्रिया है परंतु वास्तविकता यह है कि अनुवाद अत्यधिक जटिल प्रक्रिया है। अनुवाद में जब हम व्यवहार

की तरफ उन्मुख होते हैं तब हमारा वास्ता विभिन्न प्रकार की समस्याओं से पड़ता है। एक अनुवादक को लक्ष्य भाषा, स्रोत भाषा और विषय का ज्ञान होने के बावजूद भी अनवुाद करने में समस्याएं आती हैं। यह समस्याएं व्याकरण संबंधी, संकल्पनाओं संबंधी, शब्द चयन तथा शैली संबंधी, तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुवाद संबंधी, प्रशासनिक एवं विधिक अनुवाद संबंधी हो सकती हैं।

परंतु किसी भी अनुवाद को एक अच्छा अनुवाद कहलाने के लिए उसमें निम्नलिखित तत्त्व होने चाहिएं :

1. स्रोत भाषा में दिए गए संदेश का पूरी तरह से प्रेषण होना चाहिए।
2. पाठक वर्ग को ध्यान में रखते हुए अनुवाद किया जाना चाहिए।
3. स्पष्टता एक अच्छे अनुवाद का महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए। अनुवाद किसी भी स्तर पर द्विअर्थी या अस्पष्ट नहीं होना चाहिए।
4. अनुवाद करते समय कतई भी कठिन शब्दावली और अप्रचलित शब्दों का प्रयोग न किया जाए। भाषा का धारा-प्रवाह बना रहना चाहिए।
5. अच्छे अनुवाद में जीवंतता होनी चाहिए।
6. अच्छा अनुवाद वही कहलाता है जो मूल पाठ के समान ही अर्थ देता हो, उसकी अभिव्यक्ति भी सहज और शालीन हो। अनुवाद इतना सुगम हो कि अनुवाद पढ़ने के बाद पुनः मूल देखने की आवश्यकता न पड़े।
7. अच्छे अनुवाद में अरुचिकर शब्दों को भी उचित पर्याय देकर रुचिकर बनाया जा सकता है।
8. अनुवाद जब अपने लक्ष्य में सफल होगा तब ही वह अच्छा अनुवाद समझा जाएगा।
9. अच्छे अनुवाद में विषयानुरूप शैली होनी चाहिए।
10. अनुवाद में शब्दों के बजाय भाव का अनुवाद किया जाना चाहिए। शाब्दिक अनुवाद अच्छा अनुवाद नहीं माना जाता है।
11. अच्छे अनुवाद में वाक्य रचना सरल होती है। जटिल वाक्यों को तोड़कर छोटे-छोटे वाक्य बनाकर सरल रूप में प्रस्तुत करना अच्छे अनुवाद का महत्वपूर्ण तत्व है।

संक्षेप में हम यह सकते हैं कि अनुवाद देश और काल की सीमाओं को लांघ कर दो तटों के बीच सेतु का कार्य यदि सफलतापूर्वक कर सकता है तो वह गुणों से पूर्ण अनुवाद है। विभिन्न भाषाओं के बीच किसी विषय अथवा संदेश को जब हम समतुल्य अभिव्यक्तियों द्वारा पठनीय अथवा संप्रेषणीय बनाते हैं तब अनुवाद की क्रिया सम्पन्न होती है। अंत में हम यह भी कह सकते हैं कि अनुवाद तो विश्व ज्ञान का झरोखा है जिससे समस्त विश्व को आदान-प्रदान होता है।

- सी.बी.आर.टी., चंडीगढ़

'क' और 'ख' क्षेत्रों में स्थित बैंकों की जिन शाखाओं को राजभाषा नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है, उनमें कार्यरत हिंदी में प्रवीणता प्राप्त सभी कार्मिक निम्नलिखित कार्य हिंदी में करें :

1. 'क' और 'ख' क्षेत्र की राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन और इन क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों आदि ग़ैर-सरकारी व्यक्तियों को जाने वाले पत्रादि।
2. हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों आदि के उत्तर।
3. किसी कर्मचारी द्वारा हिंदी में दिए गए या हस्ताक्षर किए गए आवेदन, अपील या अभ्यावेदन का उत्तर।

आनंद कुमार और उनका सुपर 30

आर. सी. नारायण

''मैंने विकलांगों से सीखा है। वे खेलते वक़्त ये नहीं सोचते कि उनके पास क्या नहीं है। उनकी कोशिश यह रहती है कि जो उनके पास है, उससे बेहतर हासिल करके दिखाएं।''

- जेहान क्रुइफ, हॉलैंड के पूर्व फुटबाल खिलाड़ी

यदि मन में कुछ करने की ठान ली जाए और हर विपदा को पार करने की क्षमता हासिल कर ली जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत इंसान को इतिहास रचने से नहीं रोक सकती। आदमी का अपना दृष्टिकोण, उसकी जीवन-दृष्टि तय करता है। एक ऐसा आदमी जो विकलांग है, जो शरीर का कोई भी हिस्सा हिला तक नहीं सकता, हार मानने से इन्कार करता है और दुनिया उसे ब्रह्मांड की जटिल गुत्थियाँ सुलझाने वाले शख़्स 'स्टीफ़न हॉकिंग' के नाम से पहचानती है।

ऐसी ही एक शख्सियत हैं - आनंद कुमार। जिन्होंने अपने ज़बदरस्त हुनर और संकल्पशक्ति से न केवल अपनी ग़रीबी से पार पाया बल्कि सैकड़ों मेधावी बच्चों को इस तरह तैयार किया कि वे भारत की कठिनतम आईआईटी प्रवेश परीक्षा में सक्षम होकर, अपनी दक्षता से अपने तथा देश के विकास की संभावनाओं को साकार कर पाएं।

मेरी मुलाकात आनंद जी से 2007 में हुई, जब मैं पटना में पदस्थ था। सौम्य और साधारण से दिखने वाले शख़्स के असाधारण गुणों ने मुझ पर अमिट छाप छोड़ी। उनकी बुद्धि के साथ संवेदना का और विवेचना के साथ कर्म का जुड़ाव अनुकरणीय है। मैंने उनमें ऐसे शिक्षक को देखा जिनमें गुरु-शिष्य एवं शिक्षा के बीच का समन्वय स्वार्थ की परिधि के इर्द-गिर्द घूमता नज़र नहीं आता। शिक्षा उनके लिए व्यापार नही बल्कि 'सा विद्या या विमुक्तये' अर्थात् विद्या वही है जो मोक्ष की ओर ले जाए। मैंने उनमें गाँधी, फ्रायड और मार्क्स के अंश को पाया, जिन्होंने अकेले अपने दम पर पूरी मानवता को हिलाकर रख दिया। मैं उनके घर गया, जहाँ 'सुपर 30' के बच्चे रहते हैं। मुझे गुरुकुल प्रणाली की याद आ गई। जहाँ गुरु आश्रम में अपने छात्रों को वेतन रहित शिक्षा प्रदान करते थे और उन्हें जीवन रूपी गहरी नदी में तैरने योग्य बनाते थे। इन बच्चों के लिए आनंद जी की माँ खाना बनाती हैं। स्वाभिमानी और विश्वास के धनी आनंद जी ने इनके लिए किसी से भी मदद नहीं ली। कंकड़बाग में स्थित 'रामानुजम् स्कूल ऑफ मैथमैटिक्स' किराए के मकान में चलता है। टीन की छत और ईंटों की दीवार से बने क्लास रूम में बच्चे

आईआईटी में चयनित सुपर 30 के बच्चों को वित्तीय आश्वासन देने पहुँचे बैंक के महाप्रबंधक श्री आर.सी. नारायण (मध्य में)

बौद्धिकता के नवरस में गणित और विज्ञान की जटिलता समझते हैं।

श्री आनंद कुमार गणित के एक प्रख्यात शिक्षक हैं। जिनका जन्म 1 जनवरी, 1973 को पटना, बिहार में ग़रीब परिवार में हुआ। एक मौन सामाजिक परिवर्तन में वे अपनी क्रांतिकारी शिक्षा की पहल, गणित से आकर्षित 'सुपर 30' का संचालन कर रहे हैं। बचपन से आनंद जी को गणित से लगाव था। वे वैज्ञानिक बनना चाहते थे। सांईस कॉलेज, पटना में उन्होंने दो-तीन फॉर्मूलों को ईज़ाद कर इंग्लैंड भेजा, जहाँ वे प्रकाशित हुए। जब उनकी कैम्ब्रिज जाने की तैयारी चल रही थी और उनके पिता जी जो अत्यल्प वेतन पर डाकघर में काम करते थे, ने किसी तरह कुछ पैसों का बंदोबस्त किया तो इसी दौरान उनके पिता जी का अकस्मात् निधन हो गया। इनके चाचा जी के अपाहिज और बीमार होने के कारण परिवार का पूरा दायित्व इनके नाज़ुक कंधों पर आ गया। इनकी माता परिवार को चलाने के लिए पापड़ बनाने का काम करने लगीं और आनंद जी ने शाम के समय साईकिल पर उन्हें घूम-घूमकर पापड़ बेचने का काम किया तथा ग्रेजुएट हुए।

आनंद जी ने 'रामानुजम् स्कूल ऑफ मैथमैटिक्स' एक गणित क्लब की स्थापना की। इस स्कूल में ग़रीब बच्चों को पढ़ाने का काम किया। जो भी मिल जाता, उससे संतोष कर लेते थे। धीरे-धीरे इनकी ख़्याति फैलने लगी। इन बच्चों में से 30 बच्चों का उनकी योग्यता परीक्षण उपरांत

चयन कर उन्हें आईआईटी की मुफ़्त तैयारी कराने लगे। ये बच्चे आईआईटी में चयनित होने लगे। कोचिंग माफ़िया को यह बात रास नहीं आई और आनंद जी को मारने के लिए उन पर बम फेंका, पर उनकी खुशकिस्मती कि इस दुर्घटना में वे सही सलामत बच गए। इसके बाद एक बार फिर गोली मारकर उनकी हत्या की कोशिश की गई। यह गोली दीवार पर लगने के लिए आनंद जी के दुश्मनों की यह कोशिश भी नाकाम रही। आनंद जी की बढ़ती ख्याति कोचिंग माफ़िया के लिए सिरदर्द बनी हुई थी। इसीलिए एक बार पुनः उन्हें रास्ते से हटाने के लिए चाकू मारकर उनकी हत्या की कोशिश हुई। परंतु इस बार फिर आनंद जी, उनके छात्र के आगे आ जाने के कारण बच गए। लेकिन उनका छात्र घायल हो गया। इस सब के बावजूद भी आनंद जी ने हार नहीं मानी और वे अपने इस समाज कल्याण के कार्य में निर्भीक रूप से अनवरत आज भी लगे हुए हैं।

उस समय वे स्नातक कर रहे थे, जब उनकी गणितीय समस्याएं तथा लेख प्रसिद्ध पत्रिका तथा जरनल में प्रकाशित हुए। सन् 1994 में आनंद जी को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्ति का अवसर मिला था। परंतु उनकी निर्धनता उनके रास्ते की बाधा बन गई थी। बचपन से ही अत्यधिक आर्थिक कठिनाईयों के कारण उन्होंने बहुत अधिक ग़रीबी की पीड़ा सही थी और इन्हीं परिस्थितियों ने आनंद जी को, ऐसे होनहार विद्यार्थियों, जो कि सही अवसर न मिलने के कारण कमज़ोर पड़ जाते हैं, के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित किया, जो कार्यक्रम 'सुपर 30' की शुरुआत का कराण बना। अपने इस 'सुपर 30' अभियान में आनंद जी ने निर्धन बच्चों को लिया। इन बच्चों का चयन आनंद जी उनकी योग्यता परीक्षण उपरांत करते थे। ये बच्चे निर्धन परिवार से थे, लेकिन प्रतिभाशाली थे, जो किसी अवसर की तलाश में थे और आंनद जी ने इन्हें यह अवसर उपलब्ध करवाया। लगन और इच्छा-शक्ति के आगे कठिन से कठिन परिस्थितियां भी सुनहरा अवसर बन जाती हैं। यहीं से आनंद जी का यह अभियान शुरू हुआ, जो आज 'सुपर 30' के नाम से प्रसिद्ध है और आज भी प्रशिक्षण रूप में जारी है।

'सुपर 30' के दस वर्षों के दौरान भारत के शीर्षस्थ तकनीकी संस्थान 'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी' में 263 प्रतिभाशाली बच्चे चयनित हुए। इस उपलब्धि से उत्कृष्ट क्या हो सकता है कि इनमें से अधिकांश बच्चे समाज के शोषित वर्ग से थे। उनमें से अनेकों प्रथम पीढ़ी विद्यार्थी साधारण स्कूलों में पढ़ने वाले तथा निर्धन पृष्ठभूमि से थे। आनंद जी ने इन्हें मुफ़्त रहने-खाने तथा मुफ़्त कोचिंग की सुविधा दी। आनंद जी ने यह सारा कार्य अपने बलबूते पर कया। कुछ समय पश्चात् उन्हें निजी क्षेत्र के साथ-साथ सरकारी क्षेत्र से भी आर्थिक सहायता के लिए प्रस्ताव आने लगे। उन्होंने अपने निजी ट्यूशन से होने वाली आय,

आईआईटी में चयनित बच्चों के साथ श्री आनंद कुमार व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नितिश कुमार

जिस पर उनका पूरा परिवार आश्रित था, का एक अंश इस श्रेष्ठ अभियान के लिए निर्धारित किया। विश्व में प्रसारित होने वाले अनेकों चैनलों, प्रमुख समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं ने 'सुपर 30' के तत्वों को जानने की कोशिश की। डिस्कवरी चैनल, जिसने आनंद जी एवं 'सुपर 30' पर एक घंटे की डोक्युमेंट्री बनाई है, ने इसे 'सामाजिक परिवर्तन के लिए क्रांतिकारी प्रयोग' के रूप में वर्णित किया। एसटीबी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जापान के मुख्य अर्थशास्त्री श्री योइशी इतोह ने प्रसिद्ध चैनल एन.एच.ए. के लिए 'सुपर 30' पर 'सीक्रेट वेपेन ऑफ इंडिया' नाम से एक फ़िल्म भी बनाई। जापान की अभिनेत्री एवं पूर्व मिस जापान नोरिका फूजीवारा ने भी आनंद जी की गतिविधियों पर एक डोक्टयुमेंट्री बनाई। भारतीय संविधान में भारतीय समाज के पिछड़े वर्गों के कष्टों को समाज के समक्ष लाने के लिए बनाई गई हिंदी फिल्म 'आरक्षण' के निर्माण से पूर्व बॉलीवुड के महानायक अभिनेता अमिताभ बच्चन भी आनंद जी से परामर्श लेने गए थे। इसके अतिरिक्त आनंद कुमार का नाम उनकी उत्कृष्ट शिक्षण क्षमताओं के लिए 'लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्डस' में भी शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें भारत के अलावा दुनिया के अनेक देशों द्वारा उनकी इस अद्वितीय उपलब्धि के लिए सम्मानित किया जा चुका है। कहना न होगा कि श्री आनंद कुमार का नाम आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है।

आनंद जी का प्रयास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आने वाली संततियों पर अपना प्रभाव डाल रहा है। उनका यह प्रयास एक दिन राष्ट्रीय एवं भौगोलिक सीमाओं को लांघकर विश्व व्यवस्था की मानव-जाति को उन्नति के पथ पर अग्रसर करेगा।

- महाप्रबंधक

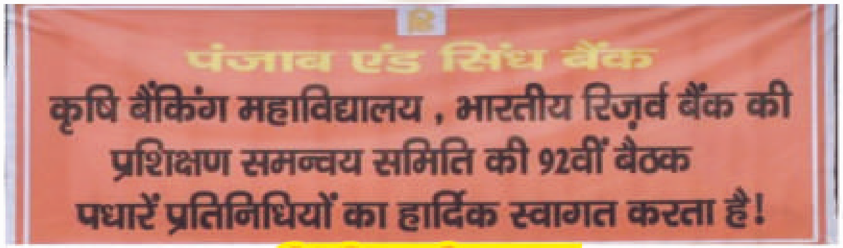

सुस्वागतम

कार्यकारी निदेशक श्री किशोर सॉंसी, भा.रि. बैं. के प्रधान मुख्य महाप्रबंधक श्री यू.एस. पालीवाल का पुष्प-गुच्छ से स्वागत करते हुए।

मुख्य महाप्रबंधक श्री जी. एस. सचदेवा म.प्र., भा.रि.बैं. स्टाफ महाविद्यालय चेन्नई का स्वागत करते हुए।

सी.बी.आर.टी. चंडीगढ़ के प्रधानाचार्य श्री एस. पी. एस. कलसी समिति के सदस्य सचिव श्री विवेक मैदर्गी का स्वागत करते हुए।

दीप प्रज्जवलन

कार्यकारी निदेशक व मुख्य महाप्रबंधक महोदय दीप प्रज्ज्वलित करते हुए।

लोकार्पण

सी.बी.आर.टी. चंडीगढ़ द्वारा तैयार की गई पुस्तिका ''दस्तावेज़ीकरण के मार्गदर्शी सिद्धांत'' का लोकार्पण करते हुए समिति-सदस्य।

बैठक

92वीं बैंठक में उपस्थित समिति सदस्य व अन्य बैंकों के प्रतिनिधि।

प्र.का. स्तर पर आयोजित शहीदों के सरताज
श्री गुरु अरजन देव जी का शहीदी गुरुपर्व

कीर्तन-गायन करते हुए श्री जी. एस. लाली एवं उनका जत्था।

सरबत के भले के लिए अरदास।

श्री गुरु ग्रंथ साहिब पर चंवर झुलाते हुए श्री जतिन्दरबीर सिंह, आई.ए.एस. बैंक के अ.प्र.नि.।

श्री गुरू ग्रंथ साहिब से पवित्र हुक्मनामा लेते हुए।

ठंडे जल की छबील व लंगर के आयोजन अवसर पर सेवा करते हुए कार्यकारी निदेशक श्री किशोर कुमार साँसी व श्री एम. के. जैन तथा स्टाफ़ सदस्य।

हिंदी कार्यशालाएं

आंचलिक कार्यालय - भोपाल

आंचलिक कार्यालय - हरियाणा

आंचलिक कार्यालय - लुधियाना

आंचलिक कार्यालय - दिल्ली-।।

आंचलिक कार्यालय - अमृतसर

आंचलिक कार्यालय - हरियाणा

हिंदी कार्यशालाएं

आंचलिक कार्यालय - कोलकाता

आंचलिक कार्यालय - गुवाहाटी

आंचलिक कार्यालय - मुम्बई

आंचलिक कार्यालय - देहरादून

आंचलिक कार्यालय - दिल्ली-।

आंचलिक कार्यालय - दिल्ली-।।

गतिविधियाँ

श्री आर. पी. एस. खुराना, महाप्रबंधक के आगमन पर आंचलिक कार्यालय हरियाणा (करनाल) द्वारा स्वागत।

''बैंक हाउस'' परिसर में अग्नि-शमन एवं निष्कासन प्रशिक्षण कार्यक्रम।

राजभाषा समाचार

नराकास लुधियाना द्वारा पत्रिका 'राजभाषा रश्मि' के संपादक मंडल को पुरस्कृत किया गया। मुख्य आयकर आयुक्त लुधियाना श्रीमती निशि सिंह द्वारा पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्रीमती हरप्रीत कौर, राजभाषा अधिकारी।

नराकास द्वारा हिंदी पखवाड़े के उपलक्ष्य में आयोजित हिंदी निबंध प्रतियोगिता में श्री एच. एस. भाटिया वरिष्ठ प्रबंधक, आंचलिक कार्यालय, लुधियाना, मुख्य आयकर आयुक्त लुधियाना श्रीमती निशि सिंह द्वारा द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करते हुए।

नराकास द्वारा प्रदत अंतर्बैंक 'सामान्य ज्ञान क्विज़ प्रतियोगिता' में सहभागिता करते हुए विभिन्न बैंकों से आए सहभागी।

आंचलिक कार्यालय, पटियाला द्वारा ''आपसी संवाद-सार्थक दिशा'' विषय पर राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन।

स्टाफ़-सदस्यों के लिए 'कार्यालय में निरंतरता का महत्व' (भाषा के संदर्भ सहित) विषय पर संगोष्ठी का आयोजन।

जल संरक्षण
आप भी बचाइएगा 'पानी' इस तरह

राजिंदर सिंह बेवली

जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ लिखे एक बोर्ड को मैं अक्सर देखा करता था जिस पर लिखा था 'जल ही जीवन है'। उस समय तो मुझे सिर्फ इतना ही पता था कि बिना पानी के हमारा जीवन चल नहीं सकता, लेकिन आज के समय में मुझे इस वाक्य की इससे कहीं ज्यादा सार्थकता नज़र आती है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि आने वाले समय में पानी मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। किसी लेख में यह भी पढ़ा था कि अगला विश्वयुद्ध शायद पानी के लिए ही होगा। कुछ समय पहले टी.वी. पर मैंने यह ख़बर भी देखी थी कि पानी के नल की लाइन में लगे दो व्यक्तियों की आपसी लड़ाई ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि इसका खामियाज़ा एक व्यक्ति को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। एक लेख में यह भी पढ़ा था कि इस धरती पर साफ़ पानी बहुत कम रह गया है और वैज्ञानिकों का मानना है कि पैट्रोल से पहले ही धरती पर पानी खत्म हो जाएगा। हालांकि समुद्र का पानी बढ़ता चला जाएगा और मानवता पर भारी पड़ेगा। पिछले कुछ समय से हम जापान और अंडमान में सुनामी जैसा कहर देख ही चुके हैं। कई देशों में 'नीलम' समुद्री तूफान तो आम बात हो गई है।

जब दुनिया में साफ पानी की इतनी किल्लत है तो क्या हमारा फर्ज़ नहीं बनता कि हम पानी बचाएं? मैं मानता हूँ कि इस देश में पानी को बचाने के लिए जितने साधनों का दोहन होना चाहिए था, उतना हुआ नहीं। हालांकि सरकार इस दिशा में कोई न कोई कदम उठाती रहती है जैसे 'रेन हार्वेस्टिंग' के लिए कोई न कोई नियम बनाना या फिर सुबह-सुबह पानी ज़ाया करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई कर, उनका चालान काटना या फिर किसानों के लिए ड्रिप इरीगेशन जैसी सुविधाओं की जानकारी देना आदि। लेकिन अफ़सोस हमारे अपने ही गली-मोहल्ले में ऐसे लोगों की कमी नहीं होती जिनके पास इतना भी समय नहीं होता कि अपने घर के ऊपर लगी पानी की टंकी से बह रहे पानी को रोकने के लिए चारपाई से उठकर मोटर का स्विच ऑफ़ कर सकें। ऐसे लोगों की तो भरमार मिलेगी जो अपनी कारों को धोने के लिए पाइप से नाजायज़ तरीके से पानी का धड़ाधड़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यदि इन्हें पानी बचाने की डिबेट कॉम्पीटीशन में भेजा जाए तो बहुत मुमकिन है कि ऐसे महानुभाव प्रथम स्थान भी प्राप्त कर लें। लेकिन हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते है। अक्सर गाड़ी को साबुन लगाते समय भी पाइप से पानी यूँ ही बहता रहता है और इन जनाब को इसकी ज़रा सी भी परवाह नहीं होती कि जीवन रूपी जल को समापत कर के वे अप्रत्यक्ष रूप से मानव का जीवन समाप्त कर रहे होते हैं। कितना संवेदनहीन हो गया है हमारा समाज....

भारतवर्ष में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इस दिशा में काबिले तारीफ़ काम किया है। पाँच या छह साल पहले मैंने एक लेख में पढ़ा था कि किसी व्यक्ति ने ऐसा घर डिजाइन किया है जिसमें पानी बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाता, रोशनी कुदरती तौर पर अधिक रहती है और सौर ऊर्जा का पूरा प्रयोग होता है। वाह! जितनी तारीफ़ की जाए, उतनी कम। बारिश का पानी कैसे टंकी में जाता है और फिर उसकी फिल्ट्रेशन करके उसी पानी से अपने घर का गुज़ारा चलाया जाता है। नहाने धोने के पानी के लिए भी बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से उसका पुनः इस्तेमाल किया जाता है और वही पानी फिर से फ्लेशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वह व्यक्ति तो एक आदर्श है...। हम सभी ऐसा तो नहीं कर सकते हो सकता है हमारी अपनी कुछ सीमाएं भी हों। फिर भी निम्नलिखित काम तो कर ही सकते हैं :-

मैं बहुत बड़ी-बड़ी बातें तो नहीं करता किंतु मैंने इस दिशा में कुछ विचार किया और कुछ करना शुरू किया। एक फ्लैट में रहते जो शुरू किया उसे आपके सामने रख रहा हूँ।

मैंने नोट किया कि रसोई की सिंक में बहुत सा पानी यूँ ही बह जाता है। रसोई में हर पल कुछ न कुछ काम चलता ही रहता है। कुछ न कुछ लगा रहता है मैंने सिंक में तीन लिटर का एक पतीला रखना शुरू किया। देखा कभी सब्जी धुल रही है, कभी चाय बनाते समय तुलसी के पत्ते, कभी कढ़ी पत्ता तो कभी पानी का ग्लास.... कभी गाजर-मूली तो कभी आटे वाले हाथ, यक़ीन मानिए, सुबह-सुबह कुछ ही समय में दस-पंद्रह पतीले भर जाते हैं। हमारे घर में उसके नीचे एक बाल्टी पड़ी रहती है। पतीले भरते रहते हैं और उन्हीं से बाल्टी में पानी जाता रहता है और बाल्टी से घर की क्यारियों में या फिर फर्श धुलाई में या फिर कहीं भी पानी का उपयोग होता रहता है।

मैंने यह भी देखा कि गुसलखाना/बाथरूम में सबसे अधिक पानी का प्रयोग होता है। एक खाली बाल्टी वहाँ भी रखनी शुरू कर दी। नहाते समय थोड़ी सी ऊँची चौकी पर बैठकर नीचे एक छोटा टब रखना शुरू किया। जो पानी टब में आता है उसे खाली बाल्टी में भर दिया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर उसे फ्लशिंग के लिए प्रयोग कर लिया जाता है। मैंने देखा है फ्लशिंग में बहुत अधिक पानी का इस्तेमाल होता है और यदि इस पर कंट्रोल किया जाए तो मोटे तौर पर चार सदस्यों के एक परिवार में लगभग सौ, सवा सौ लिटर पानी केवल यहीं पर बचाया जा सकता है।

इन दिनों वाशिंग मशीनों के चलन से पानी की बर्बादी और अधिक हुई है। फुल्ली ऑटोमैटिक मशीन में पानी बहुत बेकार जाता है। फिर भी हमारी पत्नी को कुछ कपड़े, जैसे बच्चों के छोटे-छोटे रोजमर्रा के कपड़े/यूनीफार्म, जुराबें, रूमाल, सॉफ्ट कपड़े, रसोई के छोटे-छोटे कपड़े अपने हाथों से धोने की आदत है। साबुन निकालने के लिए बहुत अधिक पानी लगता है। इस पानी को भी अलग से इकट्ठा कर के, फर्श धोने के काम में, कार धोने के काम में या फिर और ज़रूरत के हिसाब से किसी भी और काम में लाया जा सकता है।

अब मैं आपसे क्या कहूँ, मेरा तो यह भी मानना है कि पानी की कीमत रुपयों में आंकना मूर्खता होगी। पानी तो अमूल्य होता है। आप मानें या न मानें, मैं तो यदि आधा गिलास पानी पीना हो तो पानी को पूरा गिलास भी नहीं लेता। आधा क्यों बेकार किया जाए?लोग न जाने कैसे आर.ओ. सिस्टम लगाकर पानी की नदियाँ व्यर्थ बहा देते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि नल से रात को एक -एक बूँद पानी भी टपकता है, तो सुबह कम से कम एक बाल्टी भर चुकी होती है। जरा सोचिए.....

हमारे इन इलाकों में पानी की अभी अधिक कमी नहीं है, शायद इसलिए हमने इसकी बचत की ओर ज़्यादा सोचा नहीं। इसीलिए शायद नहाते समय खूब पानी बहाना, पाइपों से तेज रफ़्तार पानी से कारें धोना, आए दिन आंगन में ख़ूब पानी डालकर कामवाली से वाईपर से साफ करवाना, घर के पेड़-पौधों को ऊपर से नीचे तक स्नान करवाना, पीने का पानी रोज़ नया भरना और पुराना बहा देना आदि हमारी आदतों में शामिल हो गए हैं, वर्ना काम तो काफी कम पानी में भी हो सकते हैं। आलुओं की मिट्टी धोना और दाँतों की सफाई जैसे काम तो आधा डिब्बा पानी से भी हो जाते है। अब हम पर निर्भर करता है कि हम कितना बचा सकते हैं।

काम तो ये छोटे-छोटे दिखते हैं लेनिक यकीन मानिए साथियो, जादुई बचत होती है इनसे पानी की। मैं कुछ नहीं कहता, आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए, कितनी बचत होती होगी। एक दिन मेरे बेटे ने मुझसे कहा, ''पापा, दूसरे लोग तो ऐसा करते नहीं, आप ही क्यों बचत करने में लगे रहते हैं।'' मैंने उससे पूछा कि बेटे तुम बताओ कि क्या ये काम ठीक है कि नहीं। कुछ सोच कर उसने जवाब दिया, कि काम तो ठीक है। फिर मैंने उसे समझाया कि यदि काम ठीक है तो निश्चय ही हमें करते रहना चाहिए। If it is right, do it right now इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे कामों से हमारा बिल तो घटेगा ही और हमारा पानी/बिजली का खर्च एक सामान्य परिवार की तुलना में निश्चय ही काफी कम आएगा। लेकिन हमें सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचना है, अपने समाज, अपने देश के बारे में भी कुछ सोचना है।

मित्रो, मैं ये बिल्कुल दावा नहीं करता कि ये काम बहुत ही आसान हैं। सुबह-सुबह खाली सड़क पर कार चला कर देखिए, बिना लेन के बहुत तेज़ और स्मूथ कार चलती है। लेकिन भारी ट्रेफिक के समय भी हम बहुत खूबसुरती से कार चला रहे होते हैं क्योंकि हमारी आदत हो चुकी होती है। शुरू-शुरू में मुझे भी कुछ अटपटा लगा था पानी की बचत करना। बार-बार रसोई के पतीले को उठा-उठा कर बाल्टी में डालना, टब को भरना, कार को पहले से प्रयोग में लाए गए पानी से धोना। पत्नी ने शुरू-शुरू में बहुत विरोध तो नहीं किया लेकिन आनाकानी और अनमना भाव ज़रूर दिखाया, लेकिन इस बात से सहमत थीं कि यह काम है ठीक और बाद में वह भी इस मुहिम का एक हिस्सा बन गई और पूरे परिवार की ही यह एक आदत हो गई और यदि पूरा परिवार ही इस मुहिम का हिस्सा हो जाए ज़रा सोचिए कितना पानी व्यर्थ बहने से बच जाएगा। यह भी सोचिए कि यदि हमारा मोहल्ला ऐसा हो जाए तो? और उसके बाद हमारा शहर और उसके बाद पूरा देश, कमाल हो जाएगा आने वाली पीढ़ी के लिए।

तो आइए ना! और लग जाइए पानी बचाने के इस पुनीत कार्य में और यदि आप कुछ नया करें तो मुझे ज़रा बताइए, मैं आपके साथ हो कर बहुत करीब से सुनूँगा आपको।

- प्रधान कार्यालय, राजभाषा विभाग

मनजीत कौर

हमारा स्वास्थ्य

मनुष्य ने प्रगति की राह पर चलते हुए बहुत अद्‌भुत मशीनों का आविष्कार किया है। पर आज भी सबसे सक्षम और अनोखी मशीन है - मानव शरीर।

मानव शरीर की संरचना और कार्य- प्रणाली निश्चय ही चकित कर देती है। एक स्वास्थ्य शरीर में विभिन्न कार्य जैसे - पाचन, पोषण, विसर्जन, प्रजनन आदि बहुत ही कुशलता से चलते रहते हैं। लेकिन क्या हम अपनी इस शरीर रूप मशीन का उचित ख़्याल रखते हैं - कदाचित नहीं। हाँ, अपने प्रयोग में आने वाली मशीनों, जैसे - कार, ए.सी., कम्प्यूटर, फ्रिज, मोबाईल फ़ोन, आदि के रख-रखाव का, साफ-सफ़ाई द्वारा ध्यान रखते हैं, उनका वार्षिक अनुरक्षण भी करवाते हैं, क्योंकि ये हमारी सुख-सुविधा के साधन हैं। पर जीवन-जीने के मुख्य साधन-मानव शरीर की देख-भाल में चूक जाते हैं। शरीर की आवश्यकताओं के प्रति हम जागृत ही नहीं होते, सेहत के संरक्षण को उचित महत्व नहीं देते। यह भूल जाते हैं कि जीवन की खुशहाली का आधार है - निरोगी काया और सुखी जीवन का सार है-स्वास्थ्य तन और प्रफुल्लित मन।

अपने रहन-सहन, खान-पान की आदतों पर उचित ध्यान न देने से हम रोग-ग्रस्त हो जाते हैं। प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करने से अपनी आदतों पर नियंत्रण खोने से शरीर में कई तरह के विकार उत्पन्न हो जाते हैं और शनै-शनै रोग बहुव्यापी रूप धारण कर लेता है। पौष्टिक भोजन न खाना, गलत ढंग से पकाना, समय पर न खाना, भूख से अधिक या कम खाना, इस सब का असर हमारे शरीर पर पड़ता है क्योंकि हम वही हैं जो हम खाते हैं। खान-पान के अतिरिक्त अनियमित दिनचर्या, समय पर न सोना-जागना, निद्रा का अभाव, तनाम ग्रस्त रहना व्यायाम न करना, प्रदूषित वातावरण में रहना, नशीले पदार्थों का सेवन, यह सब शरीर की कार्य-प्रणाली को दोष पूर्ण बनाते हैं।

शरीर किसी अंग विशेष का नाम नहीं है, सभी अंगों के संयोग द्वारा इसका निर्माण हुआ है। शरीर संचालन में सभी अंग अपना - अपना योगदान देते हैं। हर अंग की एक प्रमुख भूमिका होती है, पर शरीर का संचालन सभी अंगों के ताल-मेल से चलता है। अगर हम सचेत न रहें तो किसी अंग का एक छोटा सा विकार पूरे शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है। हालांकि हमारी प्रतिरोधक क्षमता, स्वास्थ्य का संरक्षण करती है। मस्तिष्क कम्प्यूटर की भांति निर्णय लेता है और विभिन्न अंगों को निर्देश देता है। विभिन्न ग्रंथियां, आवश्यकतानुसार रसायन उत्पन्न करती हैं, जो पाचन, पोषण, विसर्जन, प्रजनन क्रियायों को सुचारू रूप से चलने में सहायक होती है। निरंतर तनाव हर व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर सकता है और बीमारी के रूप में दूषित परिणाम जन्म लेते हैं। अधिक चिंता शरीर को बहुत हानि पहुँचाती है - मामूली बीमारी भीषण रोग का रूप धारण कर सकती है।

हमें चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। किसी भी मानसिक शारीरिक समस्या का कारण ढूंढ कर, उसके समाधान के बारे में सोचें, केवल चिंता करने से समय और शरीर की ऊर्जा का सिर्फ़ दुरुपयोग ही होता है। सकारात्मक दृष्टिकोण मानसिक और आन्तरिक दोनों के लिये लाभप्रद होता है। मन और शरीर का सुंदर ताल-मेल ही हमारी जीवन रूपी गाड़ी को बिना अवरोध चलाता है।

प्रत्येक प्राणी अपने आप में अनूठा है। अपने-आप को सुनें-समझें, कमज़ोरियों, ताकतों तथा ज़रूरतों को पहचानें। सचेत हो, ऐसी जीवन शैली अपनाएं, जोकि मौजूदा परिस्थितियों में हमारी मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक शक्तियों को उभारे। रोग की समय रहते रोकथाम करना, निवारण करने से अधिक सरल है। अच्छे

स्वास्थ्य के लिए निम्न पर ध्यान देना लाभप्रद सिद्ध होगा -

- संतुलित पौष्टिक आहार का सेवन (ताज़े मौसमी फल/हरी सब्जियां, रेशेदार आहार, अंकुरित दालें, सूखे फल-बादाम, अखरोट, मेवा आदि, दूध, दही, पनीर, गेहूं, चावल)
- कम से कम तैयार पदार्थों का सेवन
- नमक, चीनी व वसा का कम सेवन
- ताजा-स्थानीय उत्पादित खाद्य पदार्थों का सेवन
- खाद्य-पदार्थों के गुणों-अवगुणों को जानें और उनका अपने शरीर पर प्रभाव देखें।
- जीवन के हर पहलू में अनुशासन और नियमितता का पालन करें।
- अपनी रुचि के अनुरूप व्यायाम प्रतिदिन अवश्य करें - योगा, सैर, जिम, खेल आदि।
- चलते-फिरते रहें, आरामदेह/निष्क्रिय जीवन शैली न अपनाएं।
- काम और विश्राम में संतुलन रखें।
- सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं।
- रोग लगने पर कारण ढूँढ सही उपचार कराएं।

दर्दनाशक दवाईयों की आदत न डालें, क्योंकि कुछ दवाईयां व्यसनकारी और घातक होती हैं और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को क्षीण करती हैं।

हमें यह स्मरण रखना है कि सुख और समृद्धि भोगने के लिए स्वस्थ शरीर ज़रूरी है, क्योंकि अच्छी सेहत से उत्तम कोई भी समृद्धि नहीं हैं। किसी ने सही कहा है कि 'अगर वैभव नष्ट हो जाता है, तो कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन अगर स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है।' अच्छी सेहत के लिये संतुलन और नियंत्रण बहुत आवश्यक है अपने ऊपर। व्यक्तिगत जिम्मेदारी से ही हम अच्छी आदतें अपनाते हैं। शरीर में प्रतिपल परिवर्तन की क्रिया चलती रहती है। कुछ मरम्मत होती है, टूट-फूट होती है, सुधार होता है। हमारा लाभ इसी में है कि हम अच्छी आदतें अपनाकर अपनी उत्तम सेहत के लिए अपनी मदद करें। थोड़ी मेहतन तो करनी होगी, कुछ पाने के लिए। दूसरों को तो हम फिर भी मूर्ख बना सकते हैं। पर अपने शरीर को नहीं। हमारी हर सोच, खान-पान, रहन-सहन, आदतों का प्रभाव, मानसिक और शारीरिक सेहत पर पड़ता है। जीवन यात्रा के उतार-चढ़ाव में बहुत ही सहायक सिद्ध होता है - निरोगी तन और प्रफुल्लित मन।

आंचलिक कार्यालय दिल्ली-।

दर्द-ए-दिल

राजीव कुमार राय

दर्द को स्याही बना,
उतारा है कागज़ पे,
ऐ मेरे दोस्त,
प्यार पर एतबार न करना।

ख़ून का कतरा-कतरा बहा,
पाला था जिनको,
आज वे ही,
मेरे बाप बन गए।
ज़िंदगी जीने के लिए,
कुछ न कुछ बहाना चाहिए,
मोक्ष पाने के लिए,
ज़िंदगी गवाना चाहिए।

दर्द ही दर्द है?
दफ़्न इस सीने में,
पल दो पल की खुशी,
का अब क्या करें,
स्वार्थ ही स्वार्थ है,
इस कलियुगी दुनिया में,
आत्मा इस दुनिया से,
क्यों न पलायन करें।

आंचलिक कार्यालय, देहरादून

यात्रा परलोक की

पवन कुमार जैन

मुझे अच्छी तरह से याद है बचपन में जब कभी भी मैं बीमार होता था तो दादी ही मुझे डॉक्टरों के यहाँ ले जाती थीं.... बीमारी के बारे में डॉक्टर को तफसील से जानकारी देने के साथ-साथ वह अपनी घरेलू समस्याएं भी डिस्कस करती थीं। लम्बी दाढ़ी वाले डॉक्टर साहब लाल-पीली शीशियों में दवाएं भर देते थे और उसके बाद शुरू हो जाती थी परहेज़ों की लम्बी सी फेहरिश्त.... क्या खाना है और क्या नहीं खाना हैं.... दादी के लिए यह जान लेना बेहद महत्वपूर्ण होता था.... जो बात समझ में न आए उसे बार-बार पूछती थीं. ... मगर क्या मज़ाल जो डॉक्टर साहब के चेहरे पर शिकन तक आ जाए। दोबारा-तिबारा उसी बात को उतनी ही शिद्दत के साथ बताते थे। दवा से ज्यादा घरेलू इलाज पर जोर देते थे। दवा लेने के बाद दादी जब कभी उनसे पैसे पूछतीं तो वह बड़ी ख़ामोश आवाज़ में पैसे बताते जिसे मैं कभी नहीं सुन पाया। ऐसा लगता मानो उन्हें पैसे बताने में संकोच होता था। मरीज़ के दिए हुए पैसे वह कभी नहीं गिनते। एक से दूसरे मरीज.... फिर वही प्रक्रिया.... परहेज़ों और हिदायतों की लम्बी लिस्ट और पैसे लेने में संकोच। इसी बीच अगर कोई दोबारा कुछ पूछने आ जाए तो उस पर कभी गुस्सा नहीं करते। कहीं कोई आडम्बर नहीं.... कोई विज्ञापन नहीं.... मगर आजकल के अस्पताल या क्लीनिक बिल्कुल फाईव स्टार होटल की तरह लगते हैं.... फ़िल्मी हीरोईनों को मात करती ड्रेस पहने लिपी-पुती-इठलाती रिसेप्शनिस्टें मरीजों को मेनका की तरह रिझाने का काम रिसेप्शन काउंटर से ही शुरू कर देती हैं। बस आप एक बार लपेटे में आ जाएं.... आपके सात जन्मों की कमाई आपस में चील-कौओं की तरह मिल-बाँटकर खा जाएंगे। जितने डॉक्टर उतने मर्ज़.... शरीर का कोई भी अंग नहीं छोड़ेंगे जहाँ का एक्सरे या एमआरआरई न करा लें.... कम्बख्त छींक भी आ जाए तो सिर से लेकर पैर तक का एक्सरे.... भारी-भरकम मशीनों का ज़खीरा....। अगर इनकी चले तो एक ही मरीज़ से इसकी कीमत वसूल कर लें। आँखों में सुअर का बाल नहीं बल्कि पूरा बाँस जिसमें कोई लोच नहीं.... कोई संकोच नहीं.... मरघटे का महाब्राहमण तो फिर भी दया दिखा जाता है कि बेचारे ग़रीब की लाश है या जवान की लाश है.... या यह सोचकर कि घर वाले ज्यादा रो रहे हैं.... शायद यही एक कमाने वाला था.... ज़्यादा क्या माँगना जितना दे दिया.... उतना ठीक है.... । मगर इन नामुरादों ने तो कैपिटेशन फीस के साथ-साथ सारे खर्चों की लिस्ट बनाकर रखी है.... जिसकी किश्तवार अदायगी यह शिकार मरीज़ से करते हैं।

एक डॉक्टर ने बड़े फख्र से बताया कि हम तो मरीज की जेब का वजन देखकर दवा लिखते हैं.... यानी कि पैसा कम तो दवा कम और सेंत-मेंत की जान मिनटों में हज़म। अगर बेचारा मरीज़ अपनी बेचारगी, बेबसी, बीमारी या इनकी बदइंतजामी किसी कारण से भी निपट जाए.... इनके चेहरे पर रेफ नहीं आएगी...। लाश की सुपुर्दगी भी पेमेंट की आमदगी के बाद होगी। मरीज़ से परिवर्तित हो चुकी लाश पेमेंट के झगड़े में घंटों तलक अपनों के आंसुओं से भीगने को तरसती रहेगी।

हमारे एक दोस्त हैं.... किसी तरह से अपनी दाल-रोटी की जुगाड़ भर कर लेते हैं। उनके पिताजी गाँव से आए तो थे अपने पोते-पोतियों से मिलने.... लेकिन यहाँ आकर सीने में दर्द शुरू हो गया। छोटे-छोटे डॉक्टरों की शीशियों की खुराक से जब आराम नहीं हुआ तो एक बड़े से अस्पताल में लें जाने की हिम्मत जुटाई.... एक लम्बी प्रक्रिया के बाद नम्बर आया.... बड़े डॉक्टर साहब बिना आला लगाए और बिना नब्ज पकड़े ही सीधे कम्प्यूटर पर जुट गए। मरीज से बात कम कर रहे थे.... कम्प्यूटर में गिटिर-पिटिर ज़्यादा कर रहे थे। काफ़ी देर तक गिर-पिट करने के बाद उन्होंने एक लम्बा से पर्चा थमा दिया.... और बेहद रूखे अंदाज से बोले कि यह सारे टैस्ट करने के बाद ही यह पता लगेगा कि बीमारी की स्टेज क्या है.... दोस्त की बीमारी की स्टेज का तो पता नहीं था.... हाँ अपनी स्टेज से वह बखूबी वाकिफ़ था .... उसने काफ़ी हिम्मत जुटाने के बाद डॉक्टर से पूछा.... साहब इसमें खर्चा कितना आएगा। डॉक्टर ने पर्चे पर सरसरी निगाह डाली और एकदम व्यापाराना

अंदाज से बोले कुछ खास नहीं बस 10-11 हजार लगेंगे। दोस्त ने माथे पर आ चुके पसीने को अपनी तर्जनी में लपेटते हुए कहा.... साहब क्या इसके बिना हमारे पिताजी का इलाज नहीं हो सकता। डॉक्टर ने दोनों कंधे सिकोड़े और बोले 'इम्पासिबिल.... क्या तुम अपने फादर को मार डालना चाहते हो.... तुम्हें अपने फादर की चिंता करनी चाहिए.... पैसों की नहीं'। दोस्त थके-हारे कदमों से अपने पिताजी को लेकर बाहर आया। उसकी समझ में नहीं आया कि यह डॉक्टर है या जल्लाद.... मरीज के सामने ही उसके मरने की बात करता है.... अगर मैं इनके टैस्ट करवाता हूँ तो मैं मरता हूँ और अगर नहीं करवाता तो पिताजी के मरने की संभावना है। आख़िर में उसने संभावना को अपने जीवन से नीचे रखा और यह संभावना काफी दिनों तक जीवित रहे और पोते-पोतियों के साथ खेलते रहे।

आजकल तो ट्रेवेल एजेंसियों की तरह इन्होंने बड़े आकर्षक पैकेज बना रखते हैं.... ब्लड शुगर के साथ कोलेस्ट्राल के टैस्ट फ्री। चाहे आपको चैकअप की ज़रूरत हो या न हो.... यह पैकेज और उसके साथ मिलने वाले फ्री गिफ्ट की लालच में आपको पटा ही लेंगे और आप इस पटने की पटान पर चेकअप के बाद नए-नए मर्जों से लबरेज फट-फटाते नज़र आएंगे। यदि आप ऐसी जगह काम करते हैं.... जहाँ से व्यय की प्रतिपूर्ति की जानी है तो आपको पूरी तरह से इस बात के लिए आश्वस्त कर देंगे कि आप उनके यहाँ क्या-क्या इलाज कराएं.... जिसके लिए आपको अपनी अंटी से एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। एक दार्शनिक की तरह आपको जीवन-दर्शन का उपदेश देंगे कि आख़िर इतने दिनों की नौकरी करने पर आपका इतना हक़ तो बनता ही है कि आप अपनी संस्था से अपने स्वास्थ्य की गारंटी ले लें.... भले ही आप उनका पेट भरने की गारंटी देने के बाद इहलोक से परलोक यात्रा पर चले जाएं। हमने कभी यमराज को या उनके दूतों को प्रत्यक्ष नहीं देखा.. .. शायद एक बार ही देखने का मौका मिलेगा और उस समय मैं उनकी जानकारी देने में अक्षम होऊंगा.... लेकिन यमराज के इन साक्षात दूतों से अपनी आत्मा को बचाए रखने के लिए यदि आपके पास कोई उपाय या विचार हों तो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं... इसके लिए आप हमें ई-मेल भेज सकते हैं। लैंडलाईन पर भी काल कर सकते हैं और एस.एम.एस. भी कर सकते हैं। ऐसे विचार भेजने वाले दस कालर्स को पाँच रातों व छह दिन की परलोक यात्रा की मुफ़्त टिकटें देने के लिए आपकी इच्छानुसार शहर के सबसे बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट के पास भेज दिया जाएगा।

- आंचलिक कार्यालय लखनऊ

चिंतन.....

कुदुम बाला

पंचभूत तत्वों से इस शरीर का निर्माण हुआ है और उन्हीं पाँच तत्व जल, अग्नि, वायु, आकाश एवं पृथ्वी से इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना। यदि इन पाँचों में से किसी एक में भी असंतुलन हो जाए तो पर्यावरण के लिए क्षतिकारक है, जिससे जीव के जीवन को भी अपूरणीय क्षति होगी। हमारी नदियों में बढ़ता हुआ प्रदूषण और उनका विषाक्त जल जीवन के द्वारा पर्यावरण की छतरी अर्थात् सौर मंडल से आने वाली घातक किरणों से बचाने वाली ओजोन की पर्त, किंतु उसमें भी छेद होना, वातावरण में निरंतर कार्बन डाईआक्साइड की बढ़ती मात्रा से दिनों-दिन ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से, अनेक बीमारियों का प्रादुर्भाव हुआ है। जिससे मनुष्य के जीवन में संकट बढ़ते ही जा रहे हैं। हाल ही में दिल्ली में आए तूफ़ान से लगभग 1000 बड़े वृक्ष टूट गए जबकि तूफ़ान की भीषणता इतनी अधिक नहीं थी। वृक्षों के टूटने का एक कारण यह था कि वृक्षों की जड़ों की पृथ्वी में पकड़ मजबूत नहीं थी अर्थात् न तो आकाश तत्व न ही पृथ्वी तत्व, और जल और वायु में प्रदूषण तो स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर है और इन सबका प्रभाव अग्नि तत्व अर्थात् वर्ष-दर-वर्ष बढ़ता पारा, टूटते ग्लेशियर समुद्र का बढ़ता जल-स्तर तथा आए दिन यह ख़बरें कि जंगलों में भीषण आग-यह समस्त मानव-जाति के लिए कितना विध्वंस कारक होगा, यह अकल्पनीय है।

सिर्फ़ एक दिन **25 मई को पर्यावरण-दिवस** मनाने से हमारा अपनी प्रकृति के प्रति कर्त्तव्य पूरा नहीं हो जाएगा। यदि हम अपनी पृथ्वी, अपने आकाश और अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो प्रकृति से प्रेम करें, वृक्षों से प्रेम करें, नदियों को प्रदूषण से बचाएँ।

आइए! पर्यावरण दिवस पर यही प्रण करें।

- प्र.का. मानव संसाधन विकास विभाग, नई दिल्ली

ओलंपिक के बाद सबसे बड़ा खेल मेला है यह

चरनपाल सिंह सोबती

ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है तो यूं लगता है कि पूरी दुनिया इन खेलों के साथ जुड़ गई हो। ओलंपिक के बाद सबसे बड़ा खेल मेला है फीफा विश्व कप यानि कि फुटबॉल का विश्व कप।

इस साल 12 जून से यह फुटबॉल विश्व कप शुरू हो रहा है और यह संयोग ही है कि इस बार यह विश्व कप उस ब्राज़ील में हो रहा है जहां फुटबॉल दीवानगी की हद तक लोकप्रिय है। एक बार विश्व कप में मुकाबला शुरू हो गया तो उसके बाद यूं लगेगा कि दुनिया में और कुछ हो ही नहीं रहा।

विश्व कप की शुरूआत का इतिहास बड़ा रोमांचक है। जूल्स रेमे एवं हेनरी डेलाने नाम के दो फ्रांसीसियों ने फुटबॉल विश्व का सपना देखा था। फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था फीफा की 1920 में हुई मीटिंग में इस तरह के टूर्नामेंट की चर्चा हुई थी जिसे विश्व कप कहा जा सके। तय तो हो गया कि इस तरह का टूर्नामेंट शुरू करेंगे, कब यह तय नहीं हो पाया। 1924 के पेरिस ओलंपिक के दौरान इस बारे में और चर्चा हुई।

1928 के एम्सटरडम ओलंपिक में उरूग्वे ने फुटबॉल का स्वर्ण पदक जीता। यहां यह तय हुआ कि अब और इंतजार किए बिना फुटबॉल विश्व कप शुरू करना चाहिए। ओलंपिक स्वर्ण पदक की अपनी जीत से खुश होकर उरूग्वे ने पहले फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी का प्रस्ताव भी रख दिया। संयोग से 1930 का साल उनकी आज़ादी का 100वां साल था और तय हुआ कि तभी विश्व कप की शुरूआत करेंगे।

उसके बाद से फुटबॉल विश्व कप ने लंबा सफर कर दिया है और हर चार साल बाद इसका आयोजन हो रहा है। समय के साथ-साथ फुटबॉल विश्व कप स्वरूप भी बदलता रहा। विजेता को दी जाने वाली ट्रॉफी और इसमें खेलने वाली टीम की गिनती भी बदली है। 1930 में इसे मेजबान उरूग्वे ने, 1934 में मेजबान इटली ने जीती, 1938 में मेजबान फ्रांस थे लेकिन विश्व कप जीता इटली ने। 1950 में पहली बार ब्राज़ील ने विश्व की मेजबानी की लेकिन उनका विश्व जीतने का सपना पूरा नहीं हुआ और उरूग्वे चेंपियन बने।

1954 में स्विजरलैंड में पश्चिम जर्मनी ने विश्व कप जीता। 1958 और 1962 के विश्व कप क्रमशः स्वीडन और चिली में थे और इन दोनों को ब्राज़ील ने जीता। 1966 में इंग्लैंड ने मेजबानी की और चैम्पियन बना। 1970 में मेक्सिको में ब्राज़ील का जादू फिर चला और वह तीन बार विश्व कप जीतने वाली पहली टीम बनी। 1974 और 1978 के विश्व कप मेज़बानों के थे - क्रमशः पश्चिम जर्मनी और अर्जेंटीना मेज़बानी करते हुए चैम्पियन भी बन गए।

1982 में स्पेन में इटली, 1986 में मेक्सिको में अर्जेंटीना, 1990 में इटली में पश्चिम जर्मनी और 1994 में अमेरिका में ब्राज़ील ने विश्व कप जीता यानि कि इन सब सालों में मेज़बान कामायाब नहीं रहे। यह रिकॉर्ड टूटा 1998 में जब फ्रांस ने मेज़बानी की और विश्व कप जीता।

अब तक विश्व कप का आयोजन एशिया में नहीं हुआ था। 2002 में यह रिकॉर्ड बना और दक्षिण कोरिया एवं जापान ने मिलकर इसकी मेज़बानी की तथा विश्व कप जीता ब्राज़ील ने। 2006 और 2010 में विश्व कप क्रमशः जर्मनी और दक्षिण अफ्रीका में थे तथा चैंपियन बनी क्रमशः इटली और स्पेन की टीम। अब विश्व कप ब्राज़ील में है और देखना है कि क्या फिर से मेज़बान के चैम्पियन बनने का रिकॉर्ड बनेगा?

खेलों की इस दुनिया में ब्राज़ील को सबसे ज्यादा मशहूरी फुटबॉल ने दिलाई है। वह अब तक 5 बार फीफा विश्व कप, 8 बार कोपा अमेरिकॉज, 4 बार फीफा अंडर 20 विश्व कप, 3 बार फीफा अंडर 19 विश्व कप और 3 बार बीच सॉकर विश्व कप जैसे बड़े ख़िताब जीत

चुका हैं। फुटबॉल में और किसी भी देश को ऐसी कामयाबी नहीं मिली है। हैरानी की बात यह है कि फुटबॉल की इतनी लोकप्रियता के बावजूद वे 1950 के बाद पहली बार विश्व कप फुटबॉल का आयोजन कर रहे हैं। फुटबॉल के सबसे मशहूर खिलाड़ियों में से एक पेले ब्राज़ील के ही थे। उन्हें 'ब्लैक पर्ल' कहा जाता है।

इस बार का विश्व कप लगभग तीन साल तक चले क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के मैचों के बाद 32 टीमों के बीच मुकाबला है। ये 32 टीमें पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करती है। अफ्रीका ग्रुप से अलजीरिया, कोट डि आइवर, नाइजीरिया, केमरून और घाना, एशिया ग्रुप से आस्ट्रेलिया, जापान, ईरान एंव कोरिया रिपब्लिक, यूरोप ग्रुप से बेल्जियम, क्रोशिया, फ्रांस, ग्रीस, नीदरलैंड्स, रशिया, स्विटजरलैंड, बोसनिया एंड हेर्जगोविना, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, पुर्तगाल एवं स्पेन, उत्तरी एंव मध्य अमेरिका ग्रुप से कोस्टा, रिका, मेक्सिको, होंडरस एवं अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका ग्रुप से अर्जेंटीना, चिली, इक्वेडोर, ब्राज़ील, कोलंबिया एवं उरूग्वे की टीमें इस बार विश्व कप में खेल रही हैं।

भारत अभी तक एक बार भी विश्व कप में नहीं खेला है। ऐसा नहीं कि भारत को कभी मौक़ा नहीं मिला। एक बार यह मौक़ा मिला तो भारतीय टीम के पास विश्व कप में खेलने के लिए ज़रूरी किट ही नहीं थी और टीम खेलने नहीं गई। हाल के सालों में भारतीय टीम विश्व कप के लिए कभी क्वालिफाई ही नहीं कर पाई।

मेज़बान ब्राज़ील विश्व कप के सबसे ज़्यादा आबादी वाले देशों में से एक है। यहाँ सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। यहाँ पुर्तगाली भाषा बोली जाती है लेकिन चूंकि अन्य दूसरे देशों से आए लोग यहाँ ज़्यादा हैं इसलिए अन्य दूसरी भाषाएं भी बोली जाती है।

पिछले कुछ विश्व कप की तरह इस विश्व कप के लिए भी एक ख़ास तरह की गेंद का चयन हुआ है और पिछले साल दिसंबर में ही इस गेंद का नाम ब्रजूका सामने आने के बाद इसे जबर्दस्त लोकप्रियता मिली है और पूरे विश्व कप में इस गेंद को बाँटकर इसे लोकप्रियता दिलाई जा रही है।

इस विश्व कप के मैचों का आयोजन जिन स्टेडियम में होगा वे मरकाना, मेनेराव, नेशनल मेन गोरिंचा, कोरेंथियंस, प्लेसिडो एडराल्डो केस्टेलो, बेरा-रियो, परनामब्यूस, बेक्सियाडा, डोनाज, एमजोनिया, पेंटनल और फोंटनोवा के हैं। इनमें से कोरेंथियंस, परनामब्यूस, डोनाज, एमजोनिया, पेंटनल और फोंटनोवा के स्टेडियम इस विश्व कप के लिए ख़ास तौर पर बने हैं।

मुख्य स्टेडियम रियो डि जेनेरियो में स्टाडियो डि मेरकेना है। यह वही स्टेडियम है जहाँ 1950 के फुटबॉल विश्व कप के भी सभी महत्वपूर्ण मैच खेले गए थे। उस विश्व कप में जो आख़िरी मैच हुआ था उसे अधिकृत आंकड़ों के अनुसार लगभग 2 लाख दर्शकों ने देखा था। उस मैच में उरूग्वे ने ब्राजील को हराया था। अब आधुनिक फुटबॉल की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर इस स्टेडियम में कई बदलाव किए गए हैं। फिर भी स्टेडियम के मूल स्वरूप और इसकी शक्ल को नहीं बदला गया ताकि जो विश्व कप देखें उन्हें इतिहास की झलक मिल सके।

बदलते समय के साथ फुटबॉल विश्व कप का आयोजन बहुत महंगा होता जा रहा है। 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन पर भारत ने 6 मिलियन डॉलर खर्च किए थे। 2008 के बीजिंग ओलंपिक के आयोजन पर चीन ने 41 बिलियन डॉलर खर्च किए थे। फुटबॉल विश्व के लिए ब्राज़ील का बजट 13.3 मिलियन डॉलर का है जो, जब ब्राज़ील की आर्थिक स्थिति को देखें तो उनकी सामर्थ्य से बहुत ज़्यादा है। बहरहाल फुटबॉल विश्व कप है ही ऐसा कि हर कोई इसे वहाँ कामयाब बनाना चाहता है।

आंचलिक कार्यालय (दिल्ली- I), नई दिल्ली

सूचना का अधिकार

त्रिलोचन सिंह

सूचना का अधिकार अधिनियम वास्तविक अर्थों में लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में उभर कर आया है। बहुचर्चित वाक्य "Democrary is For the People, Of the People & By the People" का अभिप्राय लोकतंत्र जनता के लिए, जनता का तथा जनता के द्वारा चलाया जाने वाला तंत्र से हैं।'' इस अधिनियम में इसी वाक्य को परिभाषित करने की क्षमता की झलक नज़र आती है। इसकी चर्चा सम्पूर्ण भारतवर्ष में समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों के बीच हो रही है तथा परिणाम संतोषजनक आने लगे हैं। कोई भी भारतीय नागरिक अपने घर के राशन कार्ड से लेकर हवाई-जहाज के सफ़र करने से जुड़ी कोई भी सरकारी तंत्र (केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के कार्यालय अथवा उनके अधीन कार्यरत कार्यालय/विभागों) से अपने लिए जानकारी अथवा अपनी समस्याओं से जुड़ी सूचनाएँ तथा सार्वजनिक हित से जुड़ी समस्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकता है। यदि आप नीचे दी गई कार्रवाई के अनुसार आवेदन करें तो आप निश्चित ही अपने द्वारा वांछित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

इस अधिनियम को समझने के लिए इसे दो भागों में बांटा जा सकता है :-

1. **सूचना लेने की कार्य-विधि।**
2. **अधिनियम के कुछ आधारभूत तथ्य/ध्यान देने योग्य बातें।**

प्रथम चरण : इस अधिनियम के अंतर्गत सम्पूर्ण भारत में सरकारी तंत्र के प्रत्येक कार्यालय में जन-सूचना अधिकारी तथा/अथवा सहायक जन-सूचना अधिकारी के साथ प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति की गई है जो जनता से प्राप्त इच्छित जानकारी संबंधी आवेदन की निश्चित समय-सीमा के भीतर सूचना उपलब्ध करवाते हैं। कोई भी नागरिक सादे कागज़/संबंधित संस्था द्वारा बनाए गए निर्धारित आवेदन प्रारूप पर हिंदी/अंग्रेज़ी/स्थानीय भाषा में लिखकर/टाईप कर के रु. 10 के करेंसी नोट/पोस्टल ऑर्डर/बैंक ड्राफ्ट के साथ अपना आवेदन जानकारी देनें वाले कार्यालय के जन-सूचना अधिकारी/विभागाध्यक्ष को दस्ती/डाक/स्पीड-पोस्ट से भेजा जा सकता है। ग़रीबी-रेखा से नीचे रहने वालों के लिए कोई शुल्क नहीं है। इस आवेदन में आवेदक अपना नाम, तारीख़, पत्राचार का पता, इच्छित जानकारी का विवरण, यदि संस्थान के विभाग के नाम का पता हो तो संबंधित विभाग के नाम का उल्लेख अवश्य करे।

द्वितीय चरण : आवेदक के पास एक महीने में उत्तर न आने की स्थिति में, वह संबंधित उसी कार्यालय के ही प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (Firs Appellate Authority) को 30 दिनों के भीतर सीधे आवेदन/शिकायत कर सकता है।

इसके लिए साधारण कागज़ पर आवेदन के साथ संबंधित विभाग को आवेदक द्वारा पूर्व में भेजी गई आवेदन की सत्यापित फोटोप्रति लगानी होती है। यह प्रायः कम ही देखने में आया है कि इस स्तर पर भी यदि आवेदन पर कार्यवाही न हो आवेदक के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्देशानुसार आपके आवेदन पर कार्रवाई की जाएगी अथवा इस पत्र की कार्रवाई के लिए व्यक्तिगत स्तर पर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के सम्मुख आवेदन के संबंध में उत्तर/समस्या के निवारण के लिए निर्धारित की गई तारीख़ पर आमंत्रित किया जाता है। निर्धारित तारीख़ पर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के सम्मुख एक ओर संबंधित विभाग/कक्ष के कर्मचारी/अधिकारी तथा दूसरी ओर शिकायतकर्ता/आवेदक को सुना जाएगा तथा संबंधित सूचना/कार्यवाही हेतु आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे।

तृतीय चरण : यदि शिकायतकर्ता/अपीलकर्ता इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है या फिर संबंधित कार्यालय से नीयत अवधि के भीतर कोई भी सूचना प्राप्त नहीं होती है तो इसके लिए लिखित अपील/शिकायत इससे आगे भी भारत-सरकार द्वारा गठित केन्द्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग को की जा सकती है। सम्पूर्ण भारत में फैलाये गए आयोग के कार्यालयों का पता इंटरनेट पर मौजूद है। यह सूचना प्रथम अपीलीय प्राधिकारी से प्राप्त सूचना पर संतुष्टि न होने पर अथवा संबंधित कार्यालय से कोई भी सूचना प्राप्त न होने की स्थिति में 30 दिनों के भीतर भेजना अपेक्षित है। आयोग को भेजे जाने वाले आवेदन-पत्र के साथ संबंधित कार्यालय के जन-सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के साथ किए गए पत्र-व्यवहार को आवेदक ही के द्वारा सत्यापित कर भेज देना चाहिए।

अंतिम अपीलीय प्राधिकारी के द्वारा आवेदन के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए संबंधित आयोग के द्वारा निर्धारित की गई तारीख़ पर एक ओर शिकायतकर्ता/अपीलकर्ता तथा दूसरी ओर संबंधित जन-सूचना अधिकारी को संबंधित माननीय सूचना आयुक्त की उपस्थिति में सुना जाएगा। इस संबंध में यदि संबंधित विभाग ने जानबूझ कर देरी से सूचना अथवा अधूरी सूचना उपलब्ध करवाई हो तो संबंधित माननीय आयुक्त के द्वारा वांछित जानकारी जानबूझ कर देरी से देने के लिए अथवा ग़लत/अधूरी जानकारी देने के लिए संबंधित विभाग के कर्मचारी/अधिकारी पर प्रतिदिन रूपए 250 की दर से (अधिकतम रूपए 25000 तक) की राशि का जुर्माना भी लगाया जा सकता है जिसकी कटौती संबंधित कर्मचारी/अधिकारी के वेतन में से ही की

जाएगी जिसका भुगतान शिकायतकर्ता (आवेदक) को किया जाएगा तथा सही सूचना भी उपलब्ध करवाई जाएगी।

इस प्रकार आवेदक वांछित जानकारी/सूचना को अब आसानी से प्राप्त कर सकता है। केवल सादे कागज पर इच्छित जानकारी (शिकायत) लिखकर भेजे। आवेदक की शिकायत का लिखित समाधान उसके पास होगा।

अधिनियम के आधारभूत तथ्य/ध्यान देने योग्य बातें :

आवेदक इस अधिनियम के अंतर्गत "क्यों" से आरम्भ होने वाला सीधा प्रश्न न करे क्योंकि इस अधिकार के अंतर्गत आवेदक उसी सूचना को प्राप्त कर सकता है जो जन-सूचना अधिकारी के पास मौजूद है। वह किसी सूचना का सृजन कर आपको उपलब्ध नहीं करवाएगा तथा न ही यह बता पाएगा कि भविष्य में क्या कार्रवाई की जाएगी। उदाहरण के लिए आप किसी का बिल पास करने में क्यों असमर्थ रहे, आप मुझे ऋण कब देंगे, इत्यादि जैसे प्रश्न को निरस्त किया जा सकता है।

आवेदक, आवेदन लिखने के लिए सफेद कागज़ का उपयोग करे। नोट-शीट या कोर्ट के स्टाम्प पेपर के उपयोग की कोई आवश्यकता नहीं हैं। यदि सूचना उससे संबंधित न होकर किसी तृतीय पक्षकार से संबंधित है तो ऐसी सूचना देने में इंकार किया जा सकता है।

इस सूचना प्रौद्योगिकी के युग में प्रत्येक उपक्रम/मंत्रालय की वेबसाइट पर उनके द्वारा संचालित सभी विभागों का सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों को देख रहे जन सूचना अधिकारी की पूर्ण जानकारी/प्रथम अपीलीय प्राधिकारी तथा आयोग से संबंधित जानकारी उपलब्ध रहती है।

अपील में उल्लिखित सभी संलग्न दस्तावेज़ों की फोटोकॉपी आवेदक द्वारा, सत्यापित लिखकर, पूरे हस्ताक्षर करके स्वयं-सत्यापित करनी चाहिए।

विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक एवं भारतीय मूल के कार्डधारी नागरिक जो भारत से बाहर रह रहे हैं, वे सूचना के अधिकार के लिए आवेदन स्थानीय भारतीय दूतावास/कोंसुलेट/उच्चायोग के लोक सूचना अधिकारी से सम्पर्क कर जमा कर सकते हैं, जो आवेदक को स्थानीय मुद्रा में शुल्क तथा भुगतान की जानकारी देंगे।

आवेदक द्वारा इच्छित सूचना के लिए फोटोकॉपी की आवश्यकता है तो उस स्थिति में रुपए 2.00 प्रत्येक फोटो कॉपी की दर से शुल्क का भुगतान करना होगा, यदि इच्छित सूचना के फोटो कापी पृष्ठों की संख्या अधिक है और वह सूचना कम्प्यूटर पर उपलब्ध है तो उस सूचना की कम्प्यूटर सीडी की मांग की जा सकती है अथवा विभाग के संबंधित अधिकारी की देख-रेख में आवेदक द्वारा सूचना की जानकारी के लिए व्यक्तिगत रूप से (संबंधित सूचना की फाईल इत्यादि का) निरीक्षण भी किया जा सकता है तथा केवल इच्छित पृष्ठों की फोटो प्रति भी ली जा सकती है।

निष्कर्ष :

इस प्रकार इस अधिनियम का लाभ कोई भी साधारण व्यक्ति घर बैठे सादे कागज़ पर केवल 10.00 रुपए खर्च करते हुए आवेदन लिखकर किसी भी सरकारी विभाग से किसी भी प्रकार की कार्रवाई की सूचना संबंधित विभाग से प्राप्त कर सकता है।

किसी जानकार व्यक्ति का कहना है कि यदि समाज जागरुक हो जाए तथा इस अधिनियम का ईमानदारी से कार्यान्वयन किया जाये तो भारतीय समाज में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ जाएगा तथा देश खुशहाली की ओर भी बढ़ेगा। हरियाणा सरकार इस अधिनियम को स्कूल व कालेजों में पाठ्यक्रम में जोड़ने का प्रस्ताव लाई है। मानव संसाधन विभाग ने सूचना का अधिकार अधिनियम पर जानकारी देने के लिए इंटरनेट पर 7 दिनों तथा 15 दिनों का निःशुल्क आन-लाइन डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू किया है जिसके उतीर्ण करने पर डिप्लोमा प्रमाण-पत्र भी दिया जाता है। आजकल विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थी भी इस अधिनियम के अंतर्गत अपनी उत्तर तालिका की मांग भी कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन से एफ.आई.आर. की प्रति भी प्राप्त की जा सकती है। न्यायालय में चल रहे कई मुकद्दमें सुलझाने में सुविधा हो रही है क्योंकि न्यायालय में सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से सूचना के रूप में लिए गए प्रमाण को वैध ठहराया गया है। किसी भी संस्थान के नियमों/विनियमों की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। किसी भी सरकारी विभाग द्वारा आपसे संबंधित फाईल में क्या कार्यवाही/टिप्पणी की गई, इससे भी आप को अवगत करावाया जा सकता है। यहाँ तक कि आजकल अधिकांश विभागों में कर्मचारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट को भी कर्मचारी के कार्य-पटल पर रख दिया जाता है ताकि कर्मचारी स्व-मूल्यांकन कर सके। इस प्रकार से कई सूचनायें जो एक साधारण व्यक्ति अपने जीवन-काल में इन सरकारी विभागों से प्राप्त नहीं कर सकता था, वे सूचनायें अब आसानी से प्राप्त कर पाना संभव हो गया है।

लोकतंत्र के एक प्रखर प्रहरी के रूप में 'सूचना का अधिकार कानून 2005' तैयार किया गया है। यह अधिनियम रामबाण सिद्ध हुआ है। इसके कारण सभी को, सभी के हक़ का, सब कुछ प्राप्त हो रहा है। जिसके फलस्वरूप लोकतंत्र अब अपने अर्थ के अनुरूप 'जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा चलाया जाने वाला" तंत्र अपनी वास्तविकता के निकट प्रतीत होने लगा है।

- प्र. का. राजभाषा विभाग, नई दिल्ली

गुरु अरजन विटहु कुरबाणी

डॉ. चरनजीत सिंह

श्री गुरु अरजन देव जी (सिखों के पाँचवे गुरु) श्री गुरु राम दास जी (सिखों के चौथे गुरु जी के साहिबज़ादे (सुपुत्र) थे। उनका जन्म संवत् 1620 बैसाख वदी 7, सन् 1563, 15 अप्रैल, माता भानी जी के कोख से गोईदवाल, तहसील तरन तारन ज़िला अमृतसर में हुआ। इनके दो बड़े भ्राता (भाई) थे - पृथी चंद और महादेव जी। गुरु अरजन देव सबसे छोटे पर सर्वगुण सम्पन्न, महान शख़्सियत के मालिक, नम्रता से भरपूर, परोपकार की मूर्ति व उच्च-कोटि के कवि थे।

पृथी चंद शुरू से ही ईर्ष्यालु स्वभाव का था। इनके ताया सहारी मल जी के सुपुत्र की शादी के अवसर पर श्री गुरु रामदास जी ने अरजन देव जी को भेजा और साथ ही कहा, 'जब तक हम वापिस न बुलाएं आपने वापिस नहीं आना।'

शादी के काफी दिन गुज़र जाने के बाद भी जब श्री गुरु रामदास जी ने इनको वापिस आने का संदेश नहीं भेजा तो इनके अंदर अपने पिता गुरुदेव के दर्शनों के लिए प्यास तीव्र होने लगी।

इन्होंने अंक 1 लिख कर अपने पिता गुरुदेव को चिट्ठी लिखी -

मेरा मनु लोचै दरसन ताई।।
बिलप करे चात्रिक की निआई।।
त्रिखा न उतरै सांति न आवै बिनु
दरसन संत पिआरे जीउ।।1।।
हउ घोली जीउ घोलि घुमाई गुर दरसन
संत पिआरे जीउ रहाउ।।1।।

जब चिट्ठी पहुँची तो पृथी चंद ने अपने स्वभाव के अनुसार चिट्ठी छिपा ली। उधर जब काफी दिन गुज़र जाने के बाद भी उत्तर न मिला तो उन्होंनें अंक 2 डाल कर दूसरी चिट्ठी लिखी

तेरा मुखु सुहावा जीउ सहज धुनि बाणी।।
चिरु होआ देखे सारिंगपाणी।।
धंनु सु देसु जहा तूं वसिआ
मेरे सजण मीत मुरारे जीउ।।2।।
हउ घोली हउ घोलि घुमाई गुर
सजण मीत मुरारे जीउ।।1।। रहाउ।।

यह चिट्ठी भी पृथी चंद ने छिपा ली।

इधर मन की वेदना और मिलन की तड़प ने इनके नयनों की नींद तक उड़ा दी। इनके भीतर गुरुदेव पिता के प्रति प्यार का समंदर तूफान की तरह उमड़ रहा था। आपने बड़े आहत मन से अंक 3 डाल कर फिर चिट्ठी लिखी :

इक घड़ी न मिलते ता कलिजुगु होता।।
हुणि कदि मिलीऐ प्रिअ तुधु भगवंता।।
मोहि रैणि न विहावै नीद न आवै
बिनु देखे गुर दरबारे जीउ।।3।।
हउ घोली जीउ घोलि घुमाई तिसु सचे
गुर दरबारे जीउ।।1।।

और साथ ही एक सिख को यह ताक़ीद दे कर गुरू रामदास जी के पास भेजा कि यह चिट्ठी गुरु जी के हाथों में देना।

जब गुरु जी को चिट्ठी मिली तो फौरन गुरु अरजन देव जी को वापिस बुला लिया। चिट्ठी पर पड़े अंक देख कर गुरुदेव जी ने पृथी चंद को पहली दो चिट्ठियों के बारे में पूछा तो उसने कहा, ''आपके चरणों की सौगंध, चिट्टियों का मुझे कुछ पता नहीं। अंतर्यमी गुरु जी ने एक सिख को उसके घर भेजा और पृथी चंद के कोट की जेब में से चिट्ठियाँ निकाल कर लाने का हुक्म दिया।

जब सारी संगत के सामने चिट्ठियाँ आई तो गुरु जी ने पढ़ कर सुनाने के लिए कहा। पृथी चंद बोला ये तो मेरी अपनी लिखी हुई है तो गुरु जी ने फरमाया - ''यह तीन चिट्ठियाँ हैं, इसके साथ की चौथी चिट्ठी लिख कर दिखाओ।'' पृथी चंद चिट्ठी ना लिख सका।

गुरु अरजन देव जी ने तभी गुरुदेव पिता के चरणों में चौथी चिट्ठी लिख कर रख दी -

भागु होआ गुरि संतु मिलाइआ।।
प्रभु अबिनासी घर महि पाइआ।।
सेव करी पल चसा न विछुड़ा जन
नानक दास तुमारे जीउ।।4।।
हउ घोली जीउ घोलि घुमाई जन
नानक दास तुमारे जीउ।। रहाउ।। 1।।4।।

इस तरह गुरु रामदास जी ने जब सारी संगत के सामने गुरु अरजन देव जी के सिर पर छत्र रखा। गुरु-घर के प्रेमी सता और बलवंड इस का वर्णन ''रामकली की वार'' इन शब्दों में किया है -

''तख्त बैठा अरजन गुरू,
सतगुरू का खिवे चंदोआ
उगवणों ते अथवणी,
चहु चक्की कीअन लोआ
जिनी गुरु ना सेवियन,
मनमुरवां विदा मोआ,
सच्चे का सच्चा ढोआ।''

श्री गुरु अरजन देव जी को बचपन में अपने नाना तीसरे गुरु श्री गुरु अमरदास जी से यह वर प्राप्त हुआ था : **''दोहिता - बाणी को बोहिथा।''**

श्री गुरु अरजन देव जी की सबसे बड़ी और महान देन सिख जगत को श्री गुरु ग्रंथ साहिब की संपादना करके देना है। आपने तरतीबवार सारी वाणी भाई गुरूदास जी से ग्रंथ रूप में लिखवाई। आप की अपनी बाणी इस ग्रंथ में सबसे ज्यादा है। सुखमनी साहिब भी आपकी उच्चारित बाणी है जो कि सुखों की मणि है। इस बाणी में 24000 अक्षर, 24 अष्टपदियाँ और 24 श्लोक हैं। जो प्राणी प्रतिदिन इस बाणी का पाठ करता है उसके 24000 श्वास सफ़ल हो जाते हैं।

आपने श्री गुरु ग्रंथ साहिब को बिना किसी भेद-भाव के बाणी रूप में संकलित किया। इस महान ग्रंथ में 6 गुरू साहिबान, 15 भगतों, 11 भट्टों, 2 समकालीन सिखों, 3 समकालीन रबाबियों की बाणी संकलित है। इस ग्रंथ का प्रकाश श्री दरबार साहिब हरिमंदर साहब में किया गया जिसके प्रथम ग्रंथी बाबा बुढ्ढा जी थे।

आपने हरिमंदर साहिब की नींव एक मुसलमान फ़कीर साईं मीयां मीर जी से रखवाई। हरिमंदर साहिब के चार दरवाज़े रखवाए ताकि हर वर्ग, जाति व वर्ण के लोग बिना किसी भेद-भाव के श्रद्धा सहित माथा टेक सकें। ये चार दरवाज़े प्रतीक है - आपसी प्रेम-भाव के साथ क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य व शूद्र सभी जातियों के लोग यहाँ आ सके।

आपने हरिमंदर साहिब के अलावा रामसर, संतोखसर और तरनतारन सर का भी निर्माण करवाया। इनका समूचा जीवन सेवा, सिमरन व त्याग का सुंदर मेल है।

गुरुजी की महिमा दिनों-दिन बढ़ती गई। गुरु जी के समकालीन मुग़ल सल्तनत के बादशाह जहाँगीर को अमीर वजीर जो गुरु जी से ईर्ष्या करते थे, भड़काने लगे। उधर बादशाह मन ही मन श्री गुरु साहिब की बढ़ती शानौ-शौक़त को देख जलता रहता था और किसी ऐसे अवसर की तलाश में था जिस में वो गुरु जी से बदला लेने का मंसूबा पूरा कर सके।

मौक़ा पाकर जहाँगीर ने गुरु जी को अमृतसर से लाहौर बुला भेजा। गुरु जी को सामने पाते ही वो कहने लगा, ''आपने ग्रंथ साहिब में इस्लाम के खिलाफ़ लिखा है।''

जब गुरु ग्रंथ साहिब जी का वाक लिया गया तो वाक आया,

''अव्वल अल्ला नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे।।''

जहाँगीर बड़ा शर्मिंदा हुआ। वो गुरु जी को अपने दीवान चंदू के पास छोड़ कर स्वयं कश्मीर चला गया। पीछे से चंदू को अपना बदला लेने का भी मौका मिल गया। चंदू के मन में इस बात का रोष था कि गुरु अरजन देव जी ने उनकी लड़की का रिश्ता लेने से इंकार कर दिया था।

चंदू ने गुरु जी को बड़े कष्ट व यातनाएं दी। पहले गर्म तवे पर बिठाया, गर्म रेत सिर में डाली फिर उबलती देग में उबाला।

जब गुरु जी पर चंदू कहर बर्पा रहा था तभी साईं मीयाँ मीर आ पहुँचे। गुरु जी की दशा देख कर साईं जी तड़प उठे वो बोले, ''ये मैं क्या देख रहा हूँ खुदा का तूर गर्म तवे पर... हज़ूर मुझे हुक्म करो मैं लाहौर से दिल्ली तक ईंट से ईंट बजा दूं।

सच्चे पातशाह ने वचन किया, ''नहीं साईं जी, ये अकाल पुरख का हुक्म है,

तेरा भाणा, मीठा लागे।

गुरु जी की शहादत बेमिसाल है। आप को शहीदों का सरताज भी कहा जाता है। जिस समाज की कल्पना गुरु नानक देव जी ने की थी - उसको जागृत बनाए रखने व गुरमत के आधार पर गुरु अरजन देव जी ने अपने शरीर की आहुति डाल कर रखी।

प्र.का. राजभाषा विभाग, नई दिल्ली

काव्य-मंजूषा

हम सब साथ चलते हैं

सोनी कुमार डेहरिया

आओ! आज एक नई शुरुआत करते हैं,
हम सब साथ चलते हैं,
भूल जाएं सब मतभेदों को,
इंसानियत का पाठ पढ़ाकर सबको,
मानवता की नई परिभाषा लिखते हैं,
आओ! आज एक नई शुरुआत करते हैं,
हम सब साथ चलते हैं।।

न कोई अपना, न पराया,
सब में है उस ईश्वर की छाया,
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई,
आपस में सब भाई-भाई,
इस उक्ति को आत्मसात करते हैं,
मन से मन का मिलाप करते हैं,
आओ! आज एक नई शुरुआत करते हैं,
हम सब साथ चलते हैं।।

न कुछ मेरा, न कुछ तेरा,
ये सब है बस माया का घेरा,
आज बचपन, कल जवानी,
दो पल में बस ख़त्म कहानी,
आत्मा से आत्मा का मिलाप करते हैं,
उस परमपिता को याद करते हैं,
आओ! आज एक नई शुरुआत करते हैं,
हम सब साथ चलते हैं।।

राजा, रंक और नर-नारी,
गए सब बारी-बारी,
न कोई रहा है सदा यहाँ,
न कोई रहेगा हमेशा यहाँ,
सामाजिक ज़िम्मेदारियों को निभाकर,
अपना कर्म कर चलते हैं,
आओ! आज एक नई शुरुआत करते हैं,
हम सब साथ चलते हैं।।

ले चलें हम मानव को,
मानवता के उस चरम पर,
मिट जाए ये मेर-तेर की,
गाढ़ी फैली कालिख़ जहाँ पर,
जाति, धर्म के बंधन मिटाकर,
इंसानियत को फिर से जगाने का,
एक प्रयास कर चलते हैं,
आओ! आज एक नई शुरुआत करते हैं,
हम सब साथ चलते हैं।।

'काम' के रक्तबीज बढ़ रहे हैं,
हर दिन अत्याचार कर रहे हैं,
मानवता को शर्मसार कर रहे हैं,
इन रक्तबीजों के संहार हेतु,
माँ 'गौरी' का आह्वान करते हैं,
आओ! आज एक नई शुरुआत करते हैं,
हम सब साथ चलते हैं।।

इस दुनिया को बनाएं हम,
उस खुले आकाश की तरह,
जहाँ कोई बंधन, कोई रोक नहीं,
सब नक्षत्र चमकते हैं समरूप,
और काली रात का,
घनघोर अंधेरा पाटते हैं
'डेहरिया' इस धरती को भी
उस परम हितैषी आकाश के,
सुंदर सितारों से सजाते हैं
आओ! आज एक नई शुरुआत करते हैं,
हम सब साथ चलते हैं।।

प्र.का. राजभाषा विभाग, नई दिल्ली

बिटिया मो से बोलत नाही...

कैप्टन प्रकाश चन्द्र

बप्पा बा मुझको मारे है, ये मेरी कॉपी क्यों फाड़े हैं,
शोर-शराबा वही होत है, बिटिया अब कुछ बोलत नाहीं,
बिटिया मो से बोलत नाहीं....

गुड़िया को किसने छीन लियो है, पूछन पर बस आँख उठे हैं,
क्यों बिटिया कुछ बोलत नाहीं, संग मेरे अब डोलत नाहीं,
बिटिया मो से बोलत नाहीं....

ढूँढ रहा हूँ मैं बिटिया को, छुपन-छुपाई खेलत नाहीं,
मो से क्यूं रूठी बैठी है, बप्पा-बप्पा बोलत नाहीं,
क्यो बिटिया मो से बोलत नाहीं....

अखियाँ रात भर नही सोई, पिया की बातों से वे रोई,
रोज होते है कहा-सुनी, वो कहा-सुनी को बोलत नाहीं,
बिटिया मो से बोलत नाहीं....

तुम भी तो बप्पा कैसे है, बात करन को कहते हो?
सोलह साल रखा आंगन में, अब उड़ने को कहते हो?
पी के संग बटी प्रीत अब, पग दहलीज को छोड़त नाहीं,
क्यों कहते हो बोलत नाहीं - क्यों बिटिया से बोलत नाहीं?

क्यों बिटिया मो से बोलत नाहीं....?

- आंचलिक कार्यालय, देहरादून

हमें इन पर गर्व है

श्रीमती रूपमप्रीत कौर सुपुत्री श्री हरिन्द्रजीत सिंह सोढी, प्रबंधक निरीक्षण विभाग आंचलिक कार्यालय, पटियाला ने विक्टोरिया पुलिस में बतौर कांस्टेबल की नौक़री हासिल की है। उपरोक्त चित्रों में श्रीमती रूपमप्रीत कौर अपने पति इंजीनियर कुलबीर सिंह व अपने माता-पिता के साथ परिलक्षित हैं। पी.एस.बी. परिवार की ओर से हार्दिक बधाई।

डॉ. दीपक अेम शर्मा आ.का. भोपाल में पदस्थ हैं। आप लिम्का बुक एवं इंडिया बुक राष्ट्रीय कीर्तिमान एवं गिनीज बुक कीर्तिमान धारक हैं। आपने दिसंबर 2013 में गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में टाई व नैकटाई 17.91 सेकिंड में बांध कर नया रिकार्ड कायम किया है। पी.एस.बी. परिवार आपको इस उपलब्धि पर बधाई देता है।

श्री परमजीत सिंह बेवली, लीड बैंक सावुन बाज़ार, लुधियाना में कार्यरत हैं। श्री बेवली ने नामित राजभाषा अधिकारी होते हुए राजभाषा कार्यों में सदैव बढ़ चढ़ कर सहभागिता की है तथा नराकास लुधियाना द्वारा आयोजित लगभग सभी प्रतियोगिताओं में भाग लिया है व अनेकों पुरस्कार प्राप्त किए हैं। श्री बेवली बैंकिंग कार्यों में भी पूर्णतः निपुण हैं तथा निष्काम भाव से कथा व कीर्तन भी करते हैं। पी.एस.बी. परिवार को श्री परमजीत सिंह बेवली पर गर्व है।

रचनाकारों से निवेदन

बैंक के राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित की जा रही तिमाही पत्रिका ''राजभाषा अंकुर'' के दो अंक जुलाई-सितंबर 2014 'आई.टी. विशेषांक' तथा अंक अक्तूबर-दिसंबर 2014 'ग्राहक सेवा विशेषांक' के रूप में प्रकाशित किए जा रहे हैं। रचनाकारों से निवेदन है कि इन विशेषांकों में प्रकाशन हेतु लेख व ज्ञानपरक जानकारी भिजवाने की व्यवस्था करें। कृपया रचना भेजते समय रचना के साथ अपना नाम, पदनाम, शाखा, कार्यालय का पूरा पता, मोबाईल नंबर तथा बैंक के 14 अंकों की खाता संख्या का भी अवश्य उल्लेख करें। कृपया भेजी गई रचना की मौलिकता का प्रमाण-पत्र भी साथ भेजें।

महाप्रबंधक एवं मुख्य संपादक
राजभाषा अंकुर

करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान

बेबी कुमारी

नैसर्गिक प्रतिभा अथवा योग्यता लेकर सभी जन्म नहीं लेते, लेकिन यदि जन्मजात प्रतिभा आप में नहीं है तो जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है - निरंतर अभ्यास। हिंदी साहित्य के रीतिकाल के नीतिवादी प्रख्यात कवि "वृन्द" का दोहा इस पर पर्याप्त प्रकाश डालता है -

करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान
रसरी आवत-जात ते सिल पर परत निसान

अर्थात् जिस प्रकार गहरे कुएँ से रस्सी डाल कर खींचने से, बार-बार कोमल रस्सी की रगड़ से कठोर पत्थर (कुएँ की जगह पर रखे) पर भी निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार मूर्ख अथवा असफल व्यक्ति भी यदि बार-बार अभ्यास करने से विद्वान और सफल हो सकता है। दूसरे शब्दों में हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि कोमल रस्सी से कठोर पत्थर पर निरंतर रगड़ से निशान पड़ सकता है तो कठोर और निरंतर परिश्रम से क्या नहीं प्राप्त किया जा सकता है। अभ्यास अर्थात् निरंतर बार-बार किया गया प्रयत्न। इस संसार में मनुष्य के जीवन में प्रयत्न को ही सफलता की कुँजी माना गया है। विद्वानों ने कहा है कि यदि इच्छा के मुताबिक परिणाम नहीं मिलता तो लगातार, दृढ़ संकल्प लेकर प्रयत्न करें, सफ़लता आपके कदम चूमेगी।

वस्तुतः आम लोगों के जीवन में होता क्या है? - लोग छोटी-छोटी असफलताओं से हार मानकर निराश हो जाते हैं। वे भाग्य को कोसते हुए, खाली बैठ जाते हैं कि मेहनत का परिश्रम का कोई लाभ नहीं वे इस बात को भुला देते हैं कि सफ़लता पाने, अपनी उचित इच्छित अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए यदि कोई उपाय है तो वह है परिश्रम।

संस्कृत का श्लोक है -

उद्यमेन हि सिध्यन्ति, कार्याणि, नतु मनोरथै।
न हि सुप्तस्य सिंहस्य, प्रविशन्ति मुखे मृगाः।।

अर्थात् कोई भी कार्य, मात्र मन में सोचने से नहीं होता बल्कि उसे करने के लिए उद्यम अर्थात् परिश्रम अत्यावश्यक है जिस प्रकार सिंह के अत्यंत बलशाली होने पर भी उसे भोजन प्राप्त करने के लिए। शिकार के लिए श्रम करना पड़ता है, हिरन उसके मुख में स्वयं नहीं आ जाता। कहने का तात्पर्य यही है कि परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं, अंग्रेज़ी में भी एक कहावत है । Closed Mouth Catches No fly अर्थात् बिना हाथ पैर हिलाए कुछ भी संभव नहीं, पका-पकाया खाना मिल जाने पर भी ग्रास तोड़कर मुँह में रखना, फिर चबाना तो पड़ता ही है। ऐसा किए बिना पेट भरने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब इस सच्चाई से हमारा परिचय रोज़ होता है, तब भी यदि हम परिश्रम का, अभ्यास का अर्थ नहीं समझते, परिश्रम करके अपने जीवन को सफ़ल बनाने की कोशिश नहीं करते तो ख़ुद भगवान आकर भी हमारे कष्ट दूर नहीं कर सकते।

आज तक जितने भी महापुरुष अथवा सफल पुरुष हुए हैं उनके पीछे निरंतर परिश्रम करने की अनेक कथाएँ है। जब मनुष्य का जन्म हुआ तो परिश्रम से कैसे मुँह मोड़ना बल्कि भगवान ने भी मनुष्य के रूप में काम किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी मनुष्य के रूप में काम किया। भगवान श्री कृष्ण ने गौ चराई। संत कबीर पेट भरने तथा परिवार पालने के लिए कपड़ा बुना करते थे। संत रविदास जूते गाँठा करते थे। गुरु नानक देव खेती बाड़ी करते थे। बगदाद के खलीफ़ा उमर चटाईयाँ बुनते थे। महात्मा गाँधी अपने लिए कपड़ा ख़ुद बुनते थे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि काम कोई छोटा-बड़ा नहीं होता। छोटा या बड़ा तो आदमी अपने चरित्र से होता है। बड़ा या सफ़ल बनने के लिए बार-बार लगातार परिश्रम करना अति आवश्यक है। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के जीवन की एक घटना है, जब अकबर ने उनके राज्य, उनकी सेना को तहस-नहस कर दिया तो उन्हें मेवाड़ के जंगल में शरण लेनी पड़ी, कहा जाता है कि उन दिनों उन्हें घास से बनी रोटी खानी पड़ी। जीवन से हतोत्साहित हो, वह पेड़ के नीचे बैठे थे उन्होंने देखा कि एक चींटी सामने शिला पर चढ़ने का प्रयास कर रही है किंतु कुछ ही दूर चढ़ने पर वो गिर जाती है। लेकिन चींटी ने हार नहीं मानी वो निरंतर प्रयासरत रही और अन्ततः शिला के ऊपर चढ़ने में सफ़ल हो गयी। इस घटना को देखकर उनके हृदय में उत्साह व शक्ति का संचार हुआ और उन्होंने निश्चय किया कि यदि यह छोटी सी चींटी अपने साहस और अभ्यास से अपने अभियान में सफल हो सकती है तो मैं क्यूँ नही और इसके पश्चात् उन्होंने जंगल के भीलों को एकजुट कर सेना का पुनः निर्माण किया और हल्दी घाटी के युद्ध में मुग़ल सम्राट अकबर को महाराणा प्रताप का लोहा मानना पड़ा। हम सभी उन्हें एक देशभक्त वीर के रूप में नमन करते हैं। इसलिए कभी भी हार मत मानो। निराश होकर मत बैठ जाओ। परिश्रम से मुँह मत मोड़ो। अपना काम हमेशा मन लगाकर करो। सफ़लता एक दिन स्वयं चलकर तुम्हारे चरण चूमेगी। यही अटल सत्य है।

- शाखा उत्तम नगर, नई दिल्ली

बैंक का विज़न और मिशन

बैंक का कॉर्पोरेट विज़न

पैन इंडिया उपस्थिति सहित एक तक़नीकी रूप में उभरने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, जो सभी हितधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयासरत है।

बैंक का मिशन

- अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, नवीनतम उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से उत्कृष्ट ग्राहक - सेवा प्रदान करना।
- ''सर्व जन हिताय सर्व जन सुखाय'' के लिए समर्पित भाव से कार्य करना।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
Visit us at : www.psbindia.com

पी एण्ड एस बैंक-जहाँ सेवा ही जीवन-ध्येय है।

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2014-15 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र. सं.	कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	"ख"क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (तार, बेतार, टेलेक्स, फैक्स, आरेख, ई-मेल आदि सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 65% 4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के 100% कार्यालय/व्यक्ति	1. ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 2. ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 3. ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4. ख क्षेत्र से क व ख 100% क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	1. ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 55% 2. ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 55% 3. ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4. ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 85%
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3.	हिंदी टिप्पण	75%	50%	30%
4.	हिंदी टंकक/आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	40%
5.	हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं अथवा सहायक द्वारा)	65%	55%	30%
6.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
7.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%
8.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजीटल वस्तुओं अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पेनड्राईव तथा अंग्रेज़ी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%	50%	50%
9.	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलैक्ट्रानिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद	100%	100%	100%
10.	वेबसाइट	100% (द्विभाषी)	100% (द्विभाषी)	100% (द्विभाषी)
11.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्डों का प्रदर्शन	100% (द्विभाषी)	100% (द्विभाषी)	100% (द्विभाषी)
12.	क) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों (उ.स./नि./सं.स.) द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	ख) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	ग) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण	वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण		
13.	राजभाषा संबंधी बैठकें			
	क) हिंदी सलाहकार समिति	वर्ष में 02 बैठकें (न्यूनतम)		
	ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति	वर्ष में 02 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक)		
	ख) राजभाषा कार्यान्व्यन समिति	वर्ष में 04 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)		
14.	कोड, मैन्युअल, फार्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%		
15.	मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/बैंक/उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहाँ सारा कार्य हिंदी में हो	40%	30%	20%
		(न्यूनतम अनुभाग) सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/निगमों आदि, जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं हो, में "क" क्षेत्र में कुल कार्यक्षेत्र का 40: "ख" क्षेत्र में 25: और "ग" क्षेत्र में 15: कार्य हिंदी में किया जाए।		

आइए हँस लें

एक शरीफ़ आदमी को क्या चाहिए?
एक बीवी जो प्यार करे
एक बीवी जो अच्छा खाना बनाए
एक बीवी जो घर संभाल ले
और.....तीनों बीवियाँ मिल-जुल कर रहें।

सलीम भाई की एक टांग नीली हो गई।
हक़ीम - "शायद ज़हर फैल गया है, टांग काटनी पड़ेगी।"
कुछ दिन बाद दूसरी भी नीली पड़ गई।
हक़ीम - "इस टांग में भी ज़हर फैल रहा है, इसे भी काटना पड़ेगा।"
हकीम ने दोनों टांगे काट दी और आर्टिफिशियल टांगें लगा दीं।
कुछ दिन बाद आर्टिफिशियल टांग भी नीली पड़ गई
हक़ीम - "अब तुम्हारी बीमारी समझ में आ गई। सलीम भाई! तुम्हारी लुंगी कलर छोड़ती है।"

मैंने भगवान से कहा, "मेरे सभी दोस्तों को खुश रखना।
भगवान बोले, "ठीक है पर सिर्फ़ चार दिन के लिए! वो चार दिन तू बता।"
मैंने कहा, "ठीक है - समर डे, विंटर डे, रेनी डे, स्प्रिंग डे।
भगवान कन्फ़्यूज़ हो गए, और बोले, "नहीं सिर्फ़ तीन दिन।"
मैंने कहा, "ठीक है - येस्टर डे, टुडे, टुमारो।
भगवान फिर कन्फ़्यूज हो गए, बोले "सिर्फ़ दो दिन।"
मैंने कहा ठीक है, "करंट डे और नैक्स्ड डे"
भगवान फिर कन्फ़्यूज़ हो गए, बोले, "सिर्फ़ एक दिन।
मैंने कहा, "एवरी डे"
भगवान हँसने लगे और बोले, "अच्छा बाबा मेरा पीछा छोड़ो, तुम्हारे दोस्त सदा खुश रहें।"

माँ बच्चों से, "जो मेरी बात मानेगा और मुझको उल्टा जवाब नहीं देगा, उसको मैं गिफ्ट दूंगी।"
बच्चे, "लो कर लो बात, इस तरह तो सारे गिफ्ट पापा ही ले जाएंगे।"

पति (पत्नी से) - बात अविश्वसनीय सी है, सुना तुमने, जो आदमी जितना अधिक बेवकूफ़ होता है उसे उतनी ही अधिक सुंदर पत्नी मिलती है।
पत्नी (खुश होकर) "बस-बस, रहने भी दो, मेरी तारीफ़ करने के अलावा कभी कोई और भी काम कर लिया करो।"

एक आदमी की शादी को बीस साल हो गए। उसने कभी अपनी पत्नी के हाथ के बने खाने की तारीफ़ नहीं की। उसको निर्मल बाबा ने सलाह दी कि पत्नी के खाने की तारीफ़ करो, कृपा होगी। बाबा की बात असर कर गई। घर आकर परांठे खा कर उसने तरीफ़ों के पुल बांध दिये। पत्नी ने बेलन से जी भर के ठोका और बोली, "बीस साल से मेरे खाने की तारीफ़ नहीं की और आज पड़ोसन ने परांठे भेज दिए तो तुम्हें ज़िंदगी का मज़ा आ गया। ... हो गई बाबा की कृपा।

लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से - अमीर से अमीर आदमी भी मेरे पिताजी के आगे कटोरी लेकर खड़ा रहता है।
गर्लफ्रेंड - फिर तो तुम्हारे पिताजी बहुत अमीर होंगे।
लड़का - नहीं वह गोलगप्पे बेचते हैं।

''राजभाषा प्रयोग - आपसी संवाद - सार्थक दिशा'' के तहत आयोजित राजभाषा बैठक में उपस्थित श्री एस. के. चौधरी, उप महाप्रबंधक, केनरा बैंक, लखनऊ अंचल कार्यालय, डॉ. वेदप्रकाश दूबे, संयुक्त निदेशक (राजभाषा) वित्तीय सेवाएं विभाग, श्री जगदीश प्रसाद, वरिष्ठ प्रबंधक, प्रधान कार्यालय, केनरा बैंक के अधिकारी एवं समस्त बैंकों/बीमा कंपनियों/वित्तीय संस्थाओं के अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण।

जमा-राशि (करोड़ों में)

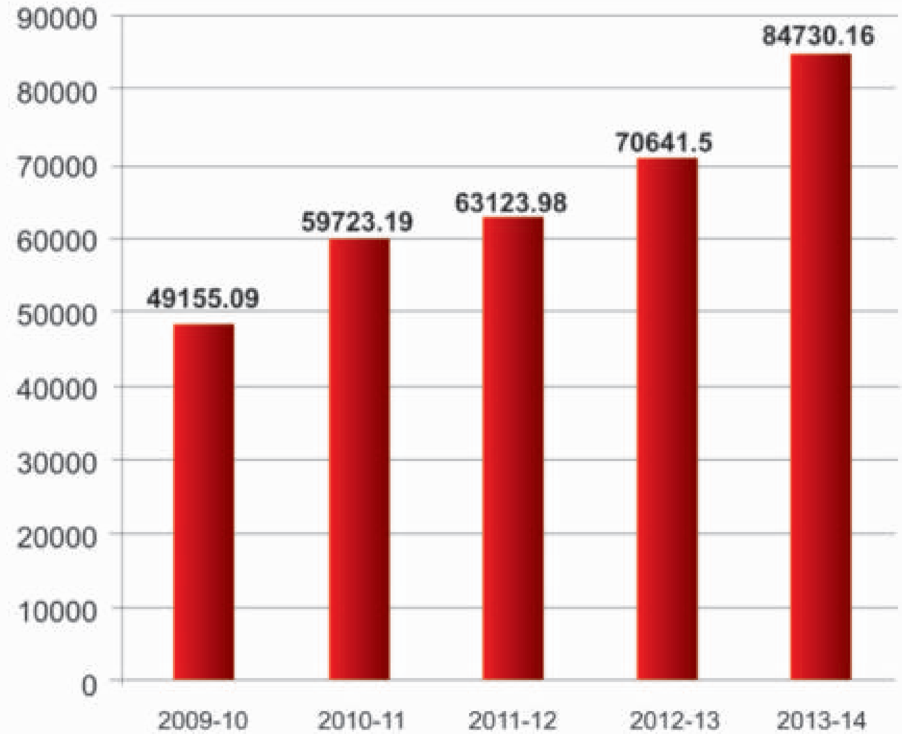

शाखाओं/विस्तार पटलों की संख्या